वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

कुलसचिव कार्यालय

कार्यसूची विवरण

विद्या परिषद
की
27वीं बैठक दिनॉक 29 मई 2006
से
31वीं बैठक दि0 19 अप्रेल 2007 तक

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

कार्यवाही विवरण

विद्या परिषद की 27वीं आपात बैठक

दिनांक 29.05.2006 सोमवार प्रातः 10.30 बजे

:स्थानः
ई.एम.पी.सी. भवन, विश्वविद्यालय परिसर
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,
कोटा ।

अनुक्रमणिका

विद्या परिषद की बैठक संख्या	दिनॉक	पृष्ठ संख्या (पृष्ठ के उपर की ओर अंकित)
27	29 मई 2006	01–11
28	04 दिसंबर 2006	12–20
29	05 मार्च 2007	21–27
30	16 अप्रेल 2007	38–73
31	19 अप्रेल 2007	74–78

विद्या परिषद की 27वीं आपात बैठक दिनॉक 29/5/06 को प्रातः 10.30 विश्वविद्यालय परिसर स्थित ई0एम0पी0सी0 भवन मे आयोजित की गई बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:–

1.	डा0आर0वी0व्यास कुलपति वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा ।	अध्यक्ष
2.	प्रो0एम0डी0अग्रवाल आचार्य, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा ।	सदस्य
3.	प्रो0पी0के0शर्मा आचार्य वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा ।	सदस्य
4.	प्रो0अनाम जेटली आचार्य वर्धमानं महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा ।	सदस्य
5.	प्रो0एम0के0घड़ोलिया आचार्य वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा ।	सदस्य
6.	डा0 एस0एन0अंबेडकर निदेशक,क्षे0के0 वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,अजमेर।	सदस्य
7.	डा0श्रीमती शिप्रा लवानिया निदेशक,क्षे0के0 वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,जोधपुर।	सदस्य
8.	डा0एल0आर0गुर्जर सह आचार्य वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा ।	सदस्य
9.	डा0जे0के0शर्मा सह आचार्य वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा ।	सदस्य
10.	डा0श्रीमती दामिना चौधरी सह आचार्य वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा ।	सदस्य
11.	डा0श्रीमती कमलेश शर्मा सह आचार्य वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा ।	सदस्य

12. डा0 अशोक शर्मा
सह आचार्य
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा । — सदस्य

13. डा0याकुब अली खान
सह आचार्य
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा । — सदस्य

14. डा0एच0बी0नंदवाना
सह आचार्य
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा । — सदस्य

15. डा0आर0के0जैन
सहा0आचार्य
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा । — सदस्य

16. श्री योगेश शर्मा
सहा0आचार्य
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा । — सदस्य

17. श्री सुधीर खैर
सहा0आचार्य
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा । — सदस्य

18. श्री राकेश शर्मा
सहा0आचार्य
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा । — सदस्य

19. निदेशक
मानविकी एवं सामा0विद्यापीठ
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा । — विशेष आमंत्रित

20. निदेशक
सतत् शिक्षा विद्यापीठ
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा । — विशेष आमंत्रित

21. निदेशक
वाणिजय एवं प्रबांध विद्यापीठ
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा । — विशेष आमंत्रित

22. निदेशक
विज्ञान एवं तक0विद्यापीठ
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा । — विशेष आमंत्रित

23. निदेशक क्षे0सेवाएँ
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा । — विशेष आमंत्रित

निम्नलिखित सदस्यगणों की बैठक में सहभागिता अपरिहार्य कारणों से संभव नहीं हो सकी:–

1. आयुक्त
   कालेज शिक्षा,राज0सरकार,जयपुर ।

2. प्रो0बी0एस0सारस्वत
   इंदिरा गॉधी रा0मु0वि0वि0,नई दिल्ली ।

3. परीक्षा नियंत्रक
   वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा ।

आवश्यक गणापूर्ति के पश्चात् बैठक प्रारंभ करते हुए सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय द्वारा विद्या परिषद की बैठक में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए अवगत कराया कि विद्या परिषद की बैठक अपरिहार्य कारणों से समय पर आयोजित नहीं हो सकी तथा निकट भविष्य में विश्वविद्यालय का तृतीय दीक्षान्त समारोह आयोजित किया जाना है इस कारण उक्त आपात बैठक आहूत की गई है ।

माननीय कुलपति महोदय ने बैठक में उपस्थित सदस्यों को जानकारी देते हुए अवगत कराया कि इस विश्वविद्यालय में छात्रों की सदस्य संख्या में प्रति वर्ष औसतन 2000 छात्रों की वृद्वि हो रही है,साथ ही विश्वविद्यालय की आय में भी उतरोत्तर वृद्वि हो रही है।माननीय कुलपति महोदय ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2005–06 के लिये आय के लक्ष्य 380 लाख के विरूद्ध 467 लाख की आय अर्जित हुई है।जो कि लक्ष्य से 87 लाख रूपये अधिक एवं वित्तिय वर्ष 2004–05 में प्राप्त आय 391 लाख से लगभग 76 लाख रूपये अधिक है। कुलपति महोदय ने यह भी अवगत कराया कि इस विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों को देश के अन्य खुले विश्वविद्यालयों यथा नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय(बिहार),राजऋषि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय (उत्तर प्रदेश), एवं पंडित सुंदर लाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय (छत्तीसगढ), द्वारा लिया गया है। इसके अलावा राज्य में स्थित विभिन्न शैक्षिक एवं तकनीकी संस्थाएं विश्वविद्यालय के साथ जुडने की इंच्छुक है,जिससे विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रम छात्र उपयोगी होने के संकेत मिलते हैं।

कुलपति महोदय ने यह भी अवगत कराया कि राज्य सरकार से आयोजना भिन्न मद में वेतन एवं भत्तों आदि के संबध में जो अनुदान प्राप्त होता है वह विश्वविद्यालय की आवश्यकता के अनुरूप बहुत कम है। विश्वविद्यालय को 2004–05 में वेतन भत्तों पर 70 से 80 लाख रूपये तथा वर्ष 2005–06 में 115 लाख रूपये स्वंय के स्रोतों द्वारा व्यय करना पड़ा है।इस पर विद्या परिषद के सभी सदस्यों का मत था कि वेतन भत्ते की मद की पूर्ण राशि का पुर्नभरण राज्य सरकार द्वारा किये जाने हेतु निवेदन किया जाना चाहिये ।

कुलपति महोदय के उद्बोदन के पश्चात् प्रो0 एम0 डी0 अग्रवाल द्वारा विश्वविद्यालय की छात्र संख्या बढाये जाने के संबध में सुझाव दिया गया कि नेशनल ओपन स्कूल व राज्य ओपन स्कूल से दूरस्थ शिक्षा के आधार सैकण्डरी व सीनियर सैकेण्डरी उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को विश्वविद्यालय की ओर से नामजद पत्र प्रेषित करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने हेतु प्रेरित किया जाना चाहिये,ताकि उक्त छात्रों को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों की जानकारी प्राप्त हो सके तथा विश्वविद्यालय की छात्र सख्या में वृद्धि हो

सके।माननीय कुलपति महोदय ने उक्त सुझाव पर कार्यवाही किये जाने हेतु आश्वस्त किया।तत्पश्चात् कार्यसूचि के बिंदुओं पर बिंदुवार चर्चा प्रारंभ कर निम्नानुसार निर्णय किये गये:–

27/01 तृतीय दीक्षान्त समारोह हेतु तिथि निर्धारण किया जाना प्रस्तावित है ।

माननीय कुलपति महोदय द्वारा तृतीय दीक्षान्त समारोह के संबध में अवगत करवाया कि विश्वविद्यालय दीक्षान्त समारोह माह मई अथवा जून में आयोजित करवाना चाह रहा था,किंतु मौसम की प्रतिकूलता के कारण दीक्षान्त समारोह माह सिंतबर अथवा अक्टूबर में किया जाना अधिक अनुकूल प्रतीत होता है।इस पर विद्या परिषद के सदस्यों द्वारा तृतीय दीक्षान्त समारोह सितंबर माह के अंतिम सप्ताह अथवा अक्टूर माह के प्रथम सप्ताह में आयोजित किये जाने हेतु सर्वसम्मति प्रकट करते हुए दीक्षान्त समारोह हेतु तिथि का निर्धारण महामहिम राज्यपाल महोदया से विचार विमर्श कर निश्चित करने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया।

27/02 दीक्षान्त समारोह हेतु मुख्य अतिथि के नाम के चयन संबधी प्रस्ताव ।

इस संबध में विद्या परिषद को अवगत करवाया गया कि तृतीय दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता महामहिम राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय की कुलाधिपति महोदया द्वारा अधिनियम के प्रावधानानुसार की जावेगी, विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मति से यह भी निर्णय किया गया कि मुख्य अतिथि के रूप में भारत के महामहिम राष्ट्रपति अथवा महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय को आमंत्रित किया जाय तथा इन्हें निमंत्रण पत्र प्रेषित किये जाने हेतु विश्वविद्यालय की कुलाधिपति एवं राज्य की महामहिम राज्यपाल महोदया से निवेदन किया जाय।

यदि किसी कारणवश उपरोक्त दानों महामहिमों की उपस्थिति संभव नहीं हो सकें तो कुलपति महोदय को महामहिम राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय की कुलाधिपति महोदया से विचार विमर्श कर इस संबध में निर्णय करने हेतु अधिकृत किया गया

27/03 मानद उपाधि दिये जाने हेतु नाम निर्धारण का प्रस्ताव ।

उक्त बिंदु के संबध के संबध में विस्तृत विचार विमर्श के बाद कुलपति महोदय द्वारा सर जॉन डेनियल,प्रो0 एम0डी0अग्रवाल द्वारा प्रो0वी0एस0प्रसाद तथा डा0 अशोक शर्मा द्वारा प्रो0 वी0आर0 महता का नाम मानद उपाधि दिये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया जिस पर विद्या परिषद द्वारा उक्त तीनों नामों पर अपनी सहमति प्रकट करते हुए स्टेच्युट्स के प्रावधानानुसार प्रकरण प्रबंध मंडल के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय किया गया तथा प्रबंध मंडल के निर्णय के बाद मानद उपाधि दिये जाने हेतु विश्वविद्यालय की कुलाधिपति एवं महामहिम राज्यपाल महोदया से विचार विमर्श कर अंतिम निर्णय किये जाने हेतु माननीय कुलपति महोदय का अधिकृत किया गया ।

04

27/04 तृतीय दीक्षान्त समारोह आयेजित करने बाबत् प्रस्ताव अवलोकनार्थ ।

छात्रों को उपाधि वितरित किये जाने हेतु परीक्षा विभाग द्वारा प्रस्तुत सूची का अवलोकन किया जाकर डिग्री एवं डिप्लोमा के योग्य छात्रों को दीक्षा कार्यक्रम के अनुसार उपाधि प्रदान किये जाने का निर्णय किया ।

27/5 दिसंबर 2001 से जून 2002 तक उत्तीर्ण विद्यार्थियों को दी जाने वाली उपाधि में विश्वविद्यालय के नाम परिवर्तन संबधी सूचना की मोहर लगाकर दिये जाने बाबत् प्रस्ताव।

विद्या परिषद द्वारा विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तन होने के कारण छात्रों की सुविधा हेतु उपाधि के पीछे लगाई जाने वाली निम्न मोहर :–

"Name of the University has been changed as "Vardhaman Mahaveer Open University Kota"Vide University Notificaiton No.VMOU/SNo. 2002/1316 Dated.30/11/2002

Dated. Of issue of Degree.....

Signature

Assistant.Registrar(Degree)

का अनुमोदन किया गया ।

27/6 विश्वविद्यालय के नाम परिवर्तन के उपरान्त जारी की जाने वाली उपाधियों में नवीन नाम छपवाने व हिन्दी व अग्रजी संस्करणों में उपाधि दिये जाने की अनुमति बाबत् प्रस्ताव अनुमोदनार्थ ।

विद्या परिषद द्वारा नाम परिवर्तन उपरान्त जारी की जाने वाली उपाधियों में नवीन नाम छपवाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया तथा हिन्दी व अंग्रजी संस्करण के प्रारूप के संबध में निम्नलिखित सदस्यों की एक समिति गठित किये जाने का निर्णय किया गया:–

1. प्रो0पी0के0शर्मा
2. प्रो0 एम0के0घड़ोलिया
3. प्रो0 अनाम जेटली
4. परीक्षा नियंत्रक

27/07 विश्वविद्यालय द्वारा जारी उपाधियों की साइज में संशोधन संबधी प्रस्ताव अवलोकन एवं अनुमादनार्थ ।

विद्या परिषद द्वारा तकनीकी कारणों से मुद्रण में आ रही कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए कमेटी द्वारा प्रस्तावित A-3 के स्थान पर A-4 साइज की उपाधियॉ मुद्रित करवाने की अनुमति प्रदान की ।

27/08 विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों की उपाधियों में ग्रेड अंकन व अन्य संशोधन संबधी प्रस्ताव अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ।

विश्वविद्यालय द्वारा जारी किये जाने वाली विभिन्न उपाधियों के प्रारूप में एक रूपता बनाये रखने तथा अन्य त्रुटियों का दुरस्त करने के संबंध में निर्णय संख्या 27/6 में गठित समिति को ही उक्त संबंध में विचार विमर्श करने हेतु अधिकृत किया गया।

उक्त समिति एक सप्ताह में उपाधियों के प्रारूप में आवश्यक संशोधन कर विश्वविद्यालय द्वारा जारी की जाने वाली समस्त पाठ्यक्रमों की उपाधियों के प्रारूप तैयार कर माननीय कुलपति महोदय को प्रस्तुत करेगी जिस पर कुलपति महोदय द्वारा अंतिम निर्णय किया जावेगा ।

माननीय कुलपति महोदय द्वारा उपाधियों पर किये जाने वाले हस्ताक्षरों के संबध में इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में प्रचलित परंपरा के आधार पर प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव के संबध में यह निर्णय किया गया कि शोध कार्य हेतु दी जाने वाली उपाधियों पर कुलपति महोदय द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे तथा स्नातकोत्तर व स्नातक उपाधि एवं डिप्लोमा पर कुलसचिव के मैन्युअल हस्ताक्षर व कुलपति महोदय के कप्युटर से स्कैन किये हुए हस्ताक्षर किये जावेंगे।विद्या परिषद के सदस्यों का यह भी मत था कि किसी भी स्थिति में हस्ताक्षरों की मोहर का उपयोग उपाधियों पर नहीं किया जाना चाहिये ।प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमं के संबध में निर्णय किया गया कि पाठ्यक्रम पूर्ण किये जाने पर जारी किये प्रमाण पत्रों पर परीक्षा नियंत्रक की अनुशंसा पर कुलसचिव द्वारा हस्ताक्षर किये जावेंगे ।

कुलपति महोदय द्वारा दीक्षान्त समारोह के दौरान विभिन्न परीक्षाओं में अव्वल रहे छात्रों को स्वर्ण पदक दिये जाने के संबंध मे गठित समिति की, दि0 22/4/06 को आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण विद्या परिषद के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया, जिसे सदस्यों द्वारा विचार विमर्श कर अनुमोदित करते हुए समिति द्वारा की गई अुनशंसाओं के अनुसार ही कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान किये।

27/09 प्रबंध पाठ्यक्रमों हेतु दी जाने वाली उपाधियों के संबध में विषय प्रभारी की कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित टिप्पणी अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ ।

प्रबंध पाठ्यक्रमों हेतु दी जाने वाली उपाधियों के संबध में विषय प्रभारी द्वारा माननीय कुलपति महोदय को प्रस्तुत प्रस्ताव का विद्या परिषद के सदस्यों ने अवलोकन कर निर्णय किया कि जिन छात्रों का प्रवेश एम0बी0ए0 पाठ्यक्रम में किया गया है,उन्हें ही एम0बी0ए0 की उपाधि देय होगी।यदि छात्र द्वारा पी0जी0डी0एच0आर0एम0/एम0एम0/एफ0एम0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया जाता है, तो विद्यार्थी को संबधित विषय का डिप्लोमा ही देय होगा न कि प्रचलित परंपरा के अनुसार प्रबंध के विषय का विशिष्ट डिप्लोमा।परिषद द्वारा उक्त प्रस्ताव का माननीय कुलपति महोदय द्वारा दि0 30/11/05 को किये गये अनुमोदन को स्वीकृति प्रदान करते हुए इस संबध में अलग से कार्यालय आदेश जारी किये जाने के निर्देश दिये ।

27/10 नवीन पाठ्यक्रमों की उपाधियों के प्रारूप अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

नवीन पाठ्यक्रम की उपाधियों के प्रारूप अनुमोदन के संबध में विद्या परिषद के सदस्यों द्वारा उक्त प्रकरण, निर्णय सं0 06 के कम में गठित समिति को ही सौंपे जाने का निर्णय किया गया ।

27/11 दीक्षा कार्यक्रम का अनुमोदन।

दीक्षा कार्यक्रम के अनुमोदन से पूर्व माननीय कुलपति महोदय ने विद्या परिषद के सदस्यों को अवगत कराते हुएं बताया कि माननीय सदस्यों के समक्ष जो दीक्षा कार्यक्रम प्रस्तुत किया गंया है उसमें मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ में शोध कार्य करने वाले छात्रों की संख्या 26 बताई गई है,उसमें डा0 करण सिंह, पूर्व सह आचार्य के निर्देशन में शोध कार्य करने वाले 05 छात्र भी सम्मिलित है,शोध कार्यो में नकल करवाने,अनियमितता बरतने एवं अन्य आरोपों के कारण डा0 करण सिंह को विश्वविद्यालय सेवा से हटा दिया गया है,तथा प्रबंध मंडल की 62वीं बैठक के निर्णय सं0 62/3(3)की पालना में डा0 सिंह के अधीन किये गये समस्त शोध कार्यो की जॉच विश्वविद्यालय स्तर पर विचाराधीन है इस कारण जॉच पूर्ण होने तक डा0 सिंह के अधीन किये गय 05 शोध कार्यो का ग्रेस पास किया जाना उचित नहीं है।कुलपति महादय के उक्त वक्तव्य पर विद्या परिषद के समस्त सदस्यों द्वारा सहमति जताते हुए निर्णय किया गया कि ऐसे छात्रों के संबध में अंतिम निर्णय के बाद ही उक्त छात्रों को उपाधि प्रदान करने हेतु ग्रेस पास किया जाना उचित होगा शेष छात्रों को संलग्न दीक्षा कार्यक्रम के अनुसार उपाधि दिये जाने का निर्णय किया गया।

इसके पश्चात् कार्यसूची विवरण के बिंदु संख्या दो के संबध में समस्त सदस्यों का मत था कि विद्या परिषद की यह आपात बैठक होने के कारण इसमें उपाधि के अतिरिक्त किसी अन्य बिंदु पर चर्चा किया जाना उचित नहीं है,इसलिये उक्त बिदु को विद्या परिषद की आगामी नियमित बैठक के दौरान प्रस्तुत किया जाना चाहिये,कुलपति महोदय द्वारा सदस्यगणों के उक्त विचार को स्वीकार करते हुए विद्या परिषद को अवगत करवाया कि आगामी बैठक माह जून के अंतिम सप्ताह में आहूत किये जाने के प्रयास किये जायेंगे ।

उक्त कार्यवाही के पश्चात् बैठक आसन के प्रति धन्यावाद ज्ञापन के साथ समाप्त घोषित की गई ।

कुलसचिव एवं
सदस्य सचिव विद्या परिषद।

अनुमोदनार्थ ।

माननीय कुलपति महोदय

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा ।

दीक्षा कार्यक्रम 2006

कुलसचिव — कुलपति महोदय क्या आपकी अनुमति है कि दीक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया जावे।

कुलपति — मेरी अनुमति है।

कुलसचिव — कुलपति महोदय की अनुमति से में इस दीक्षा कार्यक्रम के प्रारंभ होने की घोषणा करता हूँ ।

(इसके उपरांत कुलसचिव बैठकर, पुनः खडे होकर निम्न वाक्य पढेंगे):–

1. मै निदेशक मान0एवं सामा0विद्यापीठ से निवेदन करता हूँ कि वे उनकी विद्या परिषद से प्रार्थना करें कि संबधित विषयों के कुल 3648 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान करने की अनुमति दें।
2. मै निदेशक सतत शिक्षा विद्यापीठ से निवेदन करता हूँ कि वे विद्या परिषद से प्रार्थना करें कि संबधित विषयों के कुल विद्यार्थियों 5270 को उपाधि प्रदान करने की अनुमति दें।
3. मै निदेशक वाणिज्य एवं प्रबंध विद्यापीठ से निवेदन करता हूँ कि वे विद्या परिषद से प्रार्थना करें कि संबधित विषयों के कुल 691 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान करने की अनुमति दें।
4. मै निदेशक विज्ञान एवं तक0विद्यापीठ से निवेदन करता हूँ कि वे विद्या परिषद से प्रार्थना करें कि संबधित विषयों के कुल 093 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान
   करने की अनुमति दें।

निदेशक समस्त विद्यापीठों द्वारा उपरोक्त कमानुसार खडे होकर कुलपति को संबोधित करते हुए निम्ननानुसार निवेदन करेंगे:–

निवेदन है कि मानविकी एवं सामा0/सतत शिक्षा/वाणिज्य एवं प्रबंध/विज्ञान एवं तक0 विद्यापीठ से संबधित निम्न पाठयक्रमों के सामने उल्लेखित छात्र संख्या जिनकी परीक्षाऐं दिसंबर –2001 से दिसबर–2005 (पी0एच0डी0हेतु उक्त अवधि 8/3/02 से 28/5/06 तक है) की अवधि में आयोजित की गई थी उक्त उपाधि हेतु योग्य प्रमाणित हुए है:–

मानविकी एवं सामा0विद्यापीठ:–

1.	पी.एच.डी.	25
2.	इतिहास में स्नातकोत्तर	496
3.	अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर	197
4.	राज0विज्ञान में स्नातकोत्तर	567
5.	हिन्दी में स्नातकोत्तर	240
6.	कला स्नातक	2025
7.	डी0सी0सी0टी0	97
	कुल	3647

सतत् शिक्षा विद्यापीठः–

1.	पी.एच.डी.	015
2.	पत्रकारिता (जनसंचार)में स्नातकोत्तर	207
3.	शिक्षा में स्नातकोत्तर	015
4.	शिक्षा में स्नातक	1894
5.	पत्रकारिता (जनसंचार)में स्नातक	1791
6.	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक	511
7.	श्रम कानून,औद्यागिक संबध एवं कार्मिक प्रबंध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा।	353
8.	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में डिप्लोमा	366
9.	स्वास्थ शिक्षा एवं पोषण में डिप्लोमा	121
	कुल	5273

वाणिज्य एवं प्रबंध विद्यापीठ :–

1.	पी.एच.डी.	017
2.	एम0बी0ए0	041
3.	वाणिज्य में स्नातक	059
4.	पीजीडीआईएम0	062
5.	एसडीएम0	140
6.	डीआईएम0	002
7	होटल प्रबंध एवं पर्यटन में डिप्लो	298
8.	आई0 एम0	078
	कुल	697

विज्ञान एवं तक0 विद्यापीठः–

1.	पी.एच.डी.	01
2.	डीसीओ0	92
	कुल	93

मेरी प्रार्थना है कि विद्या परिषद अनुमति दें कि उक्त छात्रों को उपाधि प्रदान की जाय ।

कुलपति — क्या विद्या परिषद इस प्रस्ताव को अनुमति प्रदान करती है ।

विद्या परिषद के सदस्यों द्वारा उच्चारणः– — अवश्य अनुमति प्रदान की जावे।

विद्या परिषद की अनुमति पर कुछ ठहर कर कहना ।

कुलपति — उक्त छात्रों को उपाधि धारण करने की स्वीकृति दी जाती है ।
(The grace is passed)
समस्त छात्रों के उपाधि धारण करने की स्वीकृति के पश्चात।

कुलसचिव — कुलपति महोदय क्या आपकी आज्ञा है कि दीक्षा समारोह का विसर्जन किया जाये।

कुलपति — मेरी अनुमति है ।

कुलसचिव — दीक्षा समारोह अब विसर्जित होता है ।

विद्या परिषद की 28 बैठक दिनॉक 4/12/06 को ई0एम0पी0सी0भवन में आयोजित की गई बैठक में निम्नलिखित सदस्यो ने भाग लियाः–

1. प्रो0 नरेश दाधीच — अध्यक्ष
   कुलपति
   वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा ।

2. प्रो0 बी0एस0 सारस्वत — सदस्य
   इंदिरा गॉधी रा0मु0वि0वि0,नई दिल्ली।

3. प्रो0 एम0डी0 अग्रवाल — सदस्य
   वमखुविवि,कोटा ।

4. प्रो0 पी0के0शर्मा — सदस्य
   वमखुविवि,कोटा ।

5. प्रो0 अनाम जेटली — सदस्य
   वमखुविवि,कोटा ।

6. प्रो0 एम0के0घड़ोलिया — सदस्य
   वमखुविवि,कोटा ।

7. डा0 श्रीमति कमलेश शर्मा — सदस्य
   वमखुविवि,कोटा ।

8. डा0 एल0आर0गुर्जर — सदस्य
   वमखुविवि,कोट।

9. डा0 श्रीमति दामिना चौधरी — सदस्य
   वमखुविवि,कोटा।

10. श्री योगेश शर्मा — सदस्य
    वमखुविवि,कोटा ।

11. श्री जुगल किशोर शर्मा — सदस्य
    वमखुविवि,कोटा ।

12. डा0 अशोक शर्मा — सदस्य
    वमखुविवि,कोटा ।

13, डा0 याकुब अली — सदस्य
    वमखुविवि,कोटा ।

14. डा0 एच0बी0नंदवाना — सदस्य
    वमखुविवि,कोटा ।

15. श्री राकेश शर्मा वमखुविवि,कोटा ।	सदस्य
16 डा0 आर0के0जैन वमखुविवि,कोटा ।	सदस्य
17. श्री सुधीर खैर वमखुविवि,कोटा ।	सदस्य
18. डा0 श्रीमति शिप्रा लवानिया निदेशक,क्षे0के0 वमखुविवि,,जोधपुर ।	सदस्य
19. श्री एस0जी0शर्मा परीक्षा नियंत्रक वमखुविवि,कोटा ।	विशेष आमंत्रित
20. श्री एस0एम0वर्मा कुलसचिव वमखुविवि,कोटा।	सदस्य सचिव

आयुक्त कालेज शिक्षा राजस्थान सरकार एवं डा0 एस0 एन0 अंबेडकर निदेशक क्षेत्रीय केन्द्र अजमेर की बैठक में सहभागिता संभव नहीं हो सकी।

आवश्यक गणापूर्ति के पश्चात् माननीय कुलपति महोदय द्वारा विद्या परिषद के सदस्यों का स्वागत करते हुए अवगत करवाया गया कि उन्होंने विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर दिनॉक 11/10/2006 कार्यभार ग्रहण किया है तत्पश्चात माननीय कुलपति महोदय द्वारा विद्या परिषद के सदस्यों का परिचय प्राप्त करते हुए इंदिरा गॉधी रा0 मु0वि0वि0 से पधारे प्रो0 बी0एस0सारस्वत को विद्या परिषद के सदस्यों से परिचय करवाया गया।

कुलपति महोदय द्वारा विद्या परिषद के सदस्यों को बताया कि विद्या परिषद की गत बैठक दिनॉक 31/1/04 को आयोजित की गई थी उसके पश्चात परिषद की आपात बैठक 29/5/06 को आयोजित की गई थी, उक्त दोनों बैठकों के कार्यवाही विवरण सुलभ संदर्भ हेतु कार्यसूचि विवरण के साथ संलग्न किये गये है।माननीय कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालयों में विद्या परिषद की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए अवगत करवाया गया कि विद्या परिषद एक महत्वपूण वैद्यानिक निकाय है जिसके द्वारा लिये गये निर्णयों द्वारा यह निर्णित किया जाता है कि विद्यार्थीयों को ज्ञान किस प्रकार उपलब्ध करवाया जावे, इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण विषयों पर विद्वजनों के विचार विमर्श के उपरॉत विद्या परिषद में सामुहिक रूप से लिये जाने वाले निर्णयों की विश्वविद्यालय के विकास में महत्ती भुमिका होती है। विद्या परिषद की महत्वता को देखते हुए माननीय कुलपति महोदय द्वारा अवगत करवाया गया कि पिछले दो वर्षो से अपरिहार्य कारणों से विद्या परिषद की बैठकें समय पर आयोजित नहीं हो सकी है भविष्य में वर्ष में दो बार जनवरी एवं जुलाई में विद्या परिषद की बैठकें आवश्यक रूप से आयोजित की जावेंगी तथा महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने की स्थिति में आवश्यकतानुसार अतिरिक्त बैठकें भी समय समय पर आयोजित की जावेंगी। माननीय कुलपति महोदय के

उद्भोदन के बाद विद्या परिषद की बैठक हेतु प्रस्तुत कार्यसूचि विवरण पर बिंदुवार चर्चा प्रारंभ कर निम्नानुसार निर्णय लिये गये:–

28/1 विद्या परिषद की 26 वीं बैठक दिनॉक 31/1/04 एवं 27वीं बैठक दिनॉक 29/5/06 के कार्यवाही विवरण को अनुमोदन।

विद्या परिषद की 26वीं बैठक कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के दौरान निर्णय संख्या 26/3 के तहत निर्णय किया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश संम्बन्धी जो भी समंस्याऐं है उनके सम्बन्ध में एक समिति प्रो0 एम0डी0 अग्रवाल के संयोजक्तव में गठित किये जाने का निर्णय लिया गया जिसमें निदेशक क्षे0के0 कोटा,दामिना चौधरी,सह आचार्य, सुधीर खैर,सहायक आचार्य एवं उपकुलसचिव प्रवेश को सम्मिलित किया गया, शेष अनुपालना प्रतिवेदन को अनुमोदित किया गया। तथा 27वीं बैठक के निर्णय संख्या 27/2 में मानद उपाधि के स्थान पर डी0लिट0 की मानद उपाधि दिये जाने के संशोधन के साथ शेष कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

28/2 विद्या परिषद में तीन शिक्षाविद्वों के मानोनयन बाबत् प्रस्ताव।

उक्त प्रस्ताव पर चर्चा उपरॉत विद्या परिषद में सदस्यों के मनोनयन हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

28/3 पुस्तकालय समिति में विद्या परिषद के एक सदस्य को मनोनीत करने बाबत प्रस्ताव।

पुस्ताकालय समिति में सदस्य के मानोनयक हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

28/4 शोध नियमों में स्पष्टता सम्बन्धी प्रस्ताव।

शोध नियमों के सम्बन्ध में माननीय कुलपति महोदय द्वारा अतगत करवाया गया कि विश्वविद्यालय में प्रचलित शोध नियमों का अध्ययन कर विस्तृत प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावेगा।कुलपति महोदय के उक्त आशवासन के पश्चात् प्रस्ताव को स्थगित किया गया।

28/5 इंदिरा गॉधी रा0 मु0 विश्वविद्यालयों एवं अन्य विश्वविद्यालयों से पाठ्यक्रम आयात करने की नीति निर्धारण किये जाने बाबत् प्रस्ताव।

उक्त बिंदु पर चर्चा के उपरॉत निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

1. इंदिरा गॉधी रा0मु0वि0वि0 व अन्य विश्वविद्यालयों से पाठ्यक्रम आयात करने व इस विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम अन्य विश्वविद्यालयों को निर्यात करने के लिये नीति निर्धारित करने एवं एम0ओ0 यु0 की शर्ते तय किये जाने के लिये एक समिति गठित किये जाने हेतु ` माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया। सैद्वानतिक रूप से यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त समिति में विश्वविद्यालय में कार्यरत चारो आचार्य एवं इग्नो के कुलपति महोदय के प्रतिनिधि विश्वविद्यालय के कुलपति के प्रतिनिधि, प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा के प्रतिनिधि व इंटेलेकच्युअल प्रोपरटी राइट के वकील सम्बन्धित विषय विशेषज्ञ को रखे जाने का निर्णय लिया गया।एजेंडा के द्वितीय बिंदुं यथा पाठ्यक्रमों के आयात निर्यात सम्बन्धी कार्य किस विभाग द्वारा किया जावेगा तथा रायल्टी का भुगतान किस

विभाग व किस मद से किया जाना है के सम्बन्ध में अलग से प्रशासनिक निर्णय लिये जाने का निर्णय किया गया।

28/6 परीक्षा शुल्क आगामी परीक्षा हेतु स्थानांतरित करने सम्बन्धी प्रस्ताव ।

बिंदु पर विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए एक समिति प्रो0 एम0डी0अग्रवाल के संयोजक्तव में गठित किये जाने का निर्णय लिया गया जिसमें प्रो0 अनाम जेटली डा0 एच0बी0नंदवाना,डा0 आर0 के जैन निदेशक क्षेत्रीय केन्द्र जोधपुर ,वित्त अधिकारी एवं परीक्षा नियंत्रक को सम्मिलित किया गया।उक्त कमेटी द्वारा विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को बिना परीक्षा शुल्क के परीक्षा का एक अवसर प्रद्वत किये जाने व विलंब शुल्क कम करने, प्रवेश फार्म के स्थान पर अलग से परीक्षा फार्म भिजवाये जाने आदि समस्त बिंदुओं पर विश्वविद्यालय को प्राप्त होने वाले राजस्व व नई व्यवस्था से प्राप्त होने वाले राजस्व का तुलनात्मक अध्ययन तथा नई व्यवस्था से उत्पन्न होने वाली संभावित कठिनाइयों आदि के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से विचार विमर्श कर अपनी अभिशंसा माननीय कुलपति महोदय को प्रस्तुत की जावेगी।

28/7 ऑतरिक मुल्यॉकन के अंको का वेटेज़ कम किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।
उक्त बिंदु पर विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि ऑतरिक मुल्यॉकन के अंकों का वेटेज पुर्वानुसार ही रखा जाय परंतु आंतरिक मुल्यॉकन सम्बन्धी प्रणालि के सम्बन्ध में निम्न निर्णय लिये गये:–

1. ऑतरिक मुल्यॉकन प्रस्तुत करने की अवधि प्रवेश फार्म में ही मुद्रित करवाई जावे उक्त अवधि सामान्यतः परीक्षा प्रारंभ होने के एक माह पुर्व होनी चाहिये ,जो कि 21 नवंबर एवं 15 मई रखी जा सकति है।
2. जिन पाठ्यक्रमों में कम विद्यार्थी है तथा ऑतरिक मुल्य्यॉकन की उत्तर पुस्तिकाऐं कम आती है एसे विषयों के ऑतरिक मुल्यॉकन की पुस्तिकाओं का मुल्यॉकन विश्वविद्यालय में कार्यरत संकाय के माध्यम से करवाया जावे।
3. ऑतरिक मुल्यॉकन को जॉच हेतु भिजवाने, मुल्यॉकनकर्ता से प्राप्त करने एवं आंतरिक मुल्यॉकन के प्राप्तॉक परीक्षा अनुभाग में भिजवाने के सम्बन्ध में एक नियत समय तय किया जावे जिसकी पालना क्षे0के0 स्तर पर आवश्यक रूप से की जावे।
4. सम्बन्धित क्षे0के0के निदेशक उनके यहॉ पंजीकृत छात्रों को समयबद्व कार्यक्रम की जानकारी उपलब्ध करवाते रहें।

28/8 पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर प्रदान की जाने वाली ग्रेड एवं प्रतिशत का समतुल्य बनाने बाबत् प्रस्ताव।
उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में प्रो0 एम0डी0अग्रवाल ने अवगत करवाया कि ग्रेड एवं प्रतिशत के सम्बन्ध में पुर्व में ही समिति गठित की जा चुकी है अतः उक्त कमेटी द्वारा जो भी अनुशंसा प्रस्तुत की जावेगी उसे आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावेगा। इस सम्बन्ध में यह भी निर्णय लिया गया कि ग्रेडिंग के सम्बन्ध में यदि संकाय सदस्य अपने कोई सुझाव देना चाहे तो कमेटी को प्रस्तुत कर सकते है।

28/9 छः माह की अवधि वाले पाठ्यक्रमों में ऑतरिक मुल्यॉकन व्यवस्था समाप्त करने बाबत् जारी किये गये कार्यालय आदेश सूचनार्थ।
विद्या परिषद द्वारा जारी किये गये आदेशों का अवलोकन किया गया ।

28/10 इंदिरा गॉधी रा0 मु0 वि0वि0 की भॉती विश्वविद्यालय में स्नातक स्तरीय एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में ऑतरिक मुल्यॉकन समाप्त करने व शेष पाठ्यक्रमों में एक ऑतरिक मुल्यॉकन कम करने बाबत् प्रस्ताव।
विद्या परिषद द्वारा प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श कर निर्णय किया गया आतॅरिक मुल्यॉकन की जो व्यवस्था वर्तमान में विश्वविद्यालय में प्रचलित है उक्त व्यवस्था को लागु रखा जावे।
28/11 बी0ए0/बी0कॉम पाठ्यक्रम में इंदिरा गॉधी मु0वि0वि0 की तर्ज पर किये गये परिर्वतन सम्बन्धी आदेश सूचनार्थ।
विद्या परिषद द्वारास जारी किये गये आदेशों का अवलोकन कर आदेश को अनुमोदन किया गया।
28/12 इंदिरा गॉधी रा0 मु0 वि0वि0 की भॉती बी0 ए0/ बी0कॉम0 पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अवधि कम करने बाबत् प्रस्ताव।
विद्या परिषद द्वारा आगामी प्रवेश सत्र से बी0ए0/बी0कॉम0 पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अधिकतम अवधि इंदिरा गॉधी मु0वि0 के अनुसार कम किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

28/13 बी0एड0 छात्रों के ऑतरिक मुलयॉकन, प्रेक्टिस टीचींग एवं प्रेक्टिकल के अंक उपलबध नहीं होने की स्थिति में परीक्षा परिणाम घोषित किये जाने हेतु प्रस्ताव।
प्रस्तुत प्रस्ताव पर विद्या परिषद के सदस्यों द्वारा गंभीरतापूर्वक विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव संख्या 28/01 में अनुपालना प्रतिवेदन को अनुमोदित करने के दौरान निणर्य संख्या 26/3 के तहत गठित समिति द्वारा ही इस विषय पर विचार विमर्श कर अपनी अनुशंसाऐं प्रस्तुत की जावें ताकि विद्या परिषद की आगामी बैठक में इस सम्बन्ध में किया जा सके।

28/14 एम0बी0ए0 एवं पी0जी0डी0आई0एम0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षाओं के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी पत्र निर्णयार्थ।
उक्त संदर्भ में विषय संयोजक द्वारा विद्या परिषद को अवगत करवाया कि खुले विष्वविद्यालयों में चूँकि सेवारत व्यक्तियों को ही एम0बी0ए0 के पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाता है इस कारण खुले विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र के अनुसार कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

28/15 एम0बी0ए0पाठ्यक्रमों की समयावधि के सम्बन्ध में जारी आदेश सूचनार्थ।
उक्त सम्बन्ध जारी किये गये आदेश को वि0वि0 अधिनियम की धारा 8/4 के तहत उक्त आदेश जारी किया जाना मानते हुए अवलोकन कर अनुमोदित किया गया।

28/16 एम0बी0ए0 पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा में ऋृणात्मक अंकों की कटौति प्रणालि समाप्त किये जाने बाबत् जारी किये गये आदेश का अवलोकन।
विश्वविद्यालय जारी किये गये आदेशों को विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 8/4 के तहत जारी किया गया मानते हुए विद्या परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया।

28/17 अखिल भारतीय स्तर की विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रबंध पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को विश्वविद्यालय के प्रबंध पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षा से छूट दिये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।

विद्या परिषद द्वारा इस सम्बन्ध में निर्णय किया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा सेवारत व्यक्तियों को ही प्रबंध पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाता है जबकि अखिल भारतीय संस्थाओं द्वारा नवीन छात्रों को प्रबंध पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु परीक्षाऐं आयोजित करवाई जाती है इस कारण विश्वविद्यालय में वर्तमान प्रचलित व्यवस्था के अनुसार ही प्रबंध पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाय।

28/18 रक्तदान करने वालों को प्रोत्साहन करने हेतु ऑतरिक मुलयॉकन अंकों में पॉच प्रतिशत की छूट दिये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।
उक्त प्रस्ताव पर विद्या परिषद विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि किसी भी तरह के शैक्षिक पाठ्यक्रम में इस तरह का प्रावधान किया जाना उचित नहीं है।

28/19 बैचलर एवं आफ ट्रान्सपोर्ट सिस्टम एवं लोजेकटिक मैनजमेंट पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु एम0ओ0यु0 का प्रारूप अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ।
इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्ताव का विस्तृत रूप से अध्ययन व परीक्षण कर आगामी बैठकों में प्रस्तुत किया जावेगा।

28/20 हिन्दी माध्यम से विश्वविद्यालय द्वारा स्वंय के स्तर पर बी0ए0/बी0कॉम0 पाठ्यक्रम विकसित करने सम्बन्धी प्रस्ताव।
इस प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुए यह निर्णय किया गया कि इस सम्बन्ध में सभी संकाय निदेशकगणों को प्रस्तावानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जावे।

28/21 गौ विज्ञान तकनीक प्रबंधन विषय पर डिप्लोमा प्रारंभ करने बाबात् प्रस्ताव।
उक्त कम में प्राप्त प्रस्ताव को अध्ययन करने हेतु प्रो0 अनाम जेटली, प्रो0 पी0के0शर्मा एवं श्री राकेश शर्मा की एक समिति गठित की गई जो कि प्रस्ताव का परीक्षण कर में अपनी रिपोर्ट विद्या परिषद के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

28/22 "Gandhian Nonviolent Conflict Resolution"पर प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम विकसित करने बाबत् प्रस्ताव।
विद्या परिषद द्वारा अब तक की गई कार्यवाही का अवलोकन कर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का अनुमोदन किया गया ।

28/23 विदेशी छात्रों को विश्वविद्यालय में प्रवेश दिये जाने बाबत् जारी किये गये आदेशों का अवलोकन ।
विद्या परिषद द्वारा जारी किये गये आदेशों का अवलोकन किया गया।

28/24 विभिन्न विद्यापीठों से प्राप्त नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ करने, पाठ्यक्रमों को अपडेट करने व प्रारंभ किये गये पाठ्यक्रमों के अनुमोदन बाबत् प्रस्ताव।
उक्त प्रस्तावों पर विचार विमर्श करने से पुर्व प्रो0 एम0डी0अग्रवालद्वारा यह सुझाव प्रस्तुत किया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा जो भी नये पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जावें वे विद्या परिषद की पुर्वानुमति से ही प्रारंभ किये जावे इस पर माननीय कुलपति महोदय ने विद्या परिषद को आश्वस्त किया कि भविष्य में जनवरी व जून में विद्या परिषद की दो बैठकें आवश्यक रूप से आयोजित की जावेंगी इसके अलावा यदि कोई नये प्रस्ताव प्राप्त होते है तो विद्या परिषद की अतिरिक्त बैठकें भी आयोजित की जायगी। माननीय कुलपति महोदय ने यह भी कहा कि प्रतिवर्ष 31 मार्च तक विभिन्न संकाय सदस्य उनके संकाय में प्रारंभ किये जाने वाले नवीन पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध मे प्रस्ताव आवश्यक रूप से प्रस्तुत कर दें इसी तरह नये पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने से पुर्व सभी संकाय सदस्यों को पत्र

लिखकर सुझाव आमंत्रित किये जावें तत्पश्चात् विद्यापीठवार प्रारंभ किये गये नवीन पवाठ्यक्रम एवं अपडेट किये जाने सम्बन्धी प्रसतावों पर विचार विमर्श कर निम्नानुसार निर्णय लिये गये:–

1. वाणिज्य एवं प्रबंध विद्यापीठ के समस्त पाठ्यक्रमों को विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 8/4 के तहत स्वीकृति में मानते हुए प्रारंभ किये गये पाठ्यक्रमों का अनुमोदन किया गया।

2. मानविकी एवं सामाजिक विद्यापीठ के प्राकृत भाषा प्रमाण पत्र एवं अपभ्रंष भाषा प्रमाण पत्रों को प्रारंभ करने का निर्णय किया गया एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को सैद्वान्तिक रूप से सहमति देते हुए निर्णय किया गया कि इन्हें फिलहाल स्थगित रखा जावे।।
राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिप्लोमा पाठ्यक्रम को प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की गई इस क्रम में माननीय कुलपति महोदय ने विद्या परिषद को अवगत करवाया कि राजस्थानी भाषा में परामर्षदाता की नियुक्ति कर दी गई है अतः उक्त पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही सम्बन्धित परामर्षदाता द्वारा ही की जावेगी।

विद्या परिषद की बैठक के दौरान जनसंख्या से सम्बन्धित निम्नलिखित कार्यक्रमों पर चर्चा की गई:–

1. जनसंख्या अध्ययन में प्रमाण पत्र कार्यक्रम।
2. जनसंख्या अध्ययन में डिप्लोमा कार्यक्रम।
3. जनंसख्या प्रबंध में प्रमाण पत्र /डिप्लोमा कार्यक्रम ।

उपरोक्त कार्यक्रमों के बारे में चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि समस्त पाठ्यक्रमों को सैद्यान्तिक रूप से सहमति दी जाती है,लेकिन अभी केवल प्रमाण पत्र कार्यक्रम ही प्रारंभ किये जाय।"

सामाजिक कुरितियॉ नशा उन्मूलन के पुर्व प्रस्तावित पाठ्यक्रम "सामाजिक कुरितियॉ–नशा उन्मूलन एवं महिला सशक्तिकरण (राजस्थान के विशेष संदर्भ में) के स्थान पर विषय संयोजक के प्रस्तावानुसार " राजस्थान की सामाजिक समस्याऐं कारण एवं निवारण विषय" रखे जाने का निर्णय कर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

पाठ्यक्रम अद्यतन करने सम्बन्धित प्रस्तावों के तहत एम0 ए0 अर्थषास्त्र के पाठ्यक्रम को अद्यतन करने की स्वीकृति दी गई इसी प्रकार सी0सी0टी0 एवं डी0सी0सी0टी पाठ्यक्रम को अद्यतन करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

3. विज्ञान एवं तकनिकी विद्यापीठ द्वारा प्रस्तावित दोनों नवीन पाठ्यक्रमों पी0जी0डी0सी0ए0 तथा मल्टीमीडिया एवं कार्मिशियल आर्ट में प्रमाण पत्र सम्बन्धि पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि दोनों प्रस्तावों का विषय विशेषज्ञों से पुनः परीक्षण करवाया जा कर आगामी बैठक में रखा जावे। तथा प्रारंभ किये गये तीनों पाठ्यक्रमों प्रसूति विद्या में छ माह का पाठ्यक्रम, होम्योपैथिक एवं मेडीसीन में छ माह का पाठ्यक्रम एवं एच0 आई0वी0 एवं परिवार शिक्षा में प्रमाण पत्र को 8/4 के तहत प्रारंभ किया हुआ माना जाकर अनुमोदित किया गया ।

4. सतत् शिक्षा विद्यापीठ द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्तावों को विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 8/4 के तहत स्वीकृत मानते हुए अनुमोदित किया गया :–
1. पत्रकारिता पाठ्यक्रमों को अद्यतन करने हेतु समिति का गठन।
2. पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के स्नातकोत्तरी पाठ्यक्रम विकसित करने हेतु समिति गठन का प्रस्ताव।

3. पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में डिप्लोमा कार्यक्रम में चार सप्ताह के प्रशिक्षण की अनिवार्यता को समाप्त किये जाने बाबत् माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन ।
4. पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रवेश योग्यता में किये गये आंशिक संशोधन ।
5. महिलाओं में वैद्यानिक बोध कार्यक्रम ।

28/25(1) तृतीय दीक्षॉत समारोह में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले छात्रों की सूची एवं गत बैठक के बाद उर्त्तीण परीक्षार्थियों को उपाधि प्रदान किये जाने हेतु माननीय कुलपति महोदय को आधिकृत किये जाने बाबत् प्रस्ताव।
स्वर्ण पदक प्रदान किये जाने वाले परीक्षार्थीयों की सूची का अवलोकन कर प्रस्तावानुसार गत बैठक के पश्चात सफल अभ्यार्थियों को उपाधि प्रदान किये जाने हेतु माननीय कुलपति महोदय का अधिकृत किया गया ।

28/25(2) एम0फिल0पाठ्यक्रम प्रारंभ करने बाबत् प्रस्ताव।
प्रस्तावानुसार अर्थशास्त्र,इतिहास एवं राजनीति विज्ञान विषय में एम0फिल पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

28/25/(3) शिक्षा में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने बाबत् प्रस्ताव।
विभागाध्यक्ष शिक्षा द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावानुसार शिक्षा में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने एवं पाठ्यक्रम निर्माण समिति के गठन को हेतु आगामी कार्यवाही किये जाने के लिये विभागाध्यक्ष शिक्षा को आधिकृत किया गया।

28/25(4) विद्यापीठ की वर्तमान व्यवस्था को स्थगित कर निदेशक संकाय की व्यवस्था किय जाने बाबत् प्रस्ताव।
प्रस्तुत प्रस्ताव पर विद्या परिषद द्वारा गंभीरतापूर्वक चर्चा करते हुए प्रस्तावानुसार वर्तमान में स्थापित विद्यापीठ सम्बन्धित व्यवस्था को स्थगित कर समस्त रिक्त शैक्षिक पदों पर नियुक्ति तक पुर्व स्थापित व्यवस्था "निदेषक संकाय" की व्यवस्था को लागु करने सम्बन्धि प्रस्ताव का अनुमोदन कर अग्रिम कार्यवाही हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

28/25(5) विद्या परिषद की 27वीं बैठक के निर्ण्य सं,या 27/11 के तहत डा0 करण सिंह के शोध कार्यो के सम्बन्ध में डाले गये नोट में संशोधन बाबत् प्रस्ताव।
प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए डा0 करण सिंह के निर्देशन में शोध कार्य करने वाले छात्र श्री राकेश शर्मा के शोध कार्यो में नकल नहीं पाये जाने के कारण उपाधि जारी किये जाने का निर्णय करते हुए अर्थशास्त्र विभाग के शोधार्थी श्री ओम प्रकाश द्वारा किये गये शोध " हरियाणा प्रांत में ग्रामीण जीवन में जनसहभागिता पर अध्ययन" को उपाधि जारी नहीं किये जाने का निर्णय किया गया।

28/25(6) वर्ष 2006 से गॉधी विषय पर व्याख्यानमाला आयोजित करने सम्बन्धी प्रस्ताव।
व्याख्यानमाला आयोजित करने सम्बन्धित प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

28/25(7) बी0ए0 में चयनित विषय के रूप में उर्दू पाठ्यक्रम सम्मिलित किये जाने बाबत् प्रस्ताव।

बी0 ए0 में प्रश्न पत्र जोड़ने के स्थान पर उर्दू में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम विकसित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव लेते हुए उदू पाठ्यक्रम निर्माण समिति के सदस्य सचिव को आवष्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देषित किया गया।

माननीय कुलपति महोदय ने विद्या परिषद के सदस्यों को अवगत करवाया कि विश्वविद्यालय द्वारा 6 वर्ष के बाद 1/12/06 को आयोजना मंडल की बैठक आयोजित की गई हैउक्त बैठक में विशविश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित 11वीं पंचवर्षीय योजना, दूरस्थ शिक्षा परिषद को अनुदान हेतु प्रेषित प्रस्ताव व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त करने के सम्बन्ध में विभिन्न प्रस्तावों पर विस्तृत विचारविमर्श एवं चर्चा के साथ साथ नोलेज बेस विश्वविद्यालय की अवधारणा विश्वविद्यालय विकास हेतु राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न संस्थाओ से सहयोग के सम्बन्ध में विचार विमर्श राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविद्वों की सेवाऐं कंसलटेंट के रूप में लेने तथा विश्वविद्यालय को आनलाइन युनिर्वसिटी के रूप में विकसित करने के साथ साथ विभिन्न नये पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने का निर्णय लिया गया है जिसमें से पी0जी0डी0सी0ए0 ,समाजशास्त्र,इंगलिश,एवं एप्लाईड सोशियोलोजी में स्नात्तकोतर फंक्शनल इंगलिश में प्रमाण पत्र कृषि क्षेत्र में विभिन्न पाठ्यक्रम, एवं राजस्थान प्रशासनिक एवं अधीनस्थ सेवाओं में चयनित अभ्यार्थी जिन्हें हरिषचन्द्र माथुर लोक प्रषासन प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है के लिये लोक प्रशासन में स्नात्तकोतर सम्बन्धी पाठ्यक्रम तथा विधि प्राधिकरण जयपुर द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के सम्बन्ध में पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने के बाबत् निर्णय लिये गये। माननीय कुलपति महोदय ने यह भी अवगत कराया कि विश्वविद्यालय में गॉधी अध्ययन केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव भी विचाराधीन है साथ ही यु0जी0सी0के सहयोग से दलित अध्ययन केन्द्र की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव भी लिया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2010 से 2015 तक का विजन डोक्युमेंट भी तैयार करवाया जावेगा । माननीय कुलपति महोदय ने विद्या परिषद को यह भी अवगत कराया कि विश्वविद्यालय में कार्यरत शैक्षिक एवं अशैक्षिक संवर्ग के अधिकारियों एवं कार्मिकों के लिये स्टाइड के माध्यम से प्रषिक्षण दिलवाये जाने की कार्यवाही भी की जायगी जिसमें विभिन्न विषयोंके विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जावेगा।

28/25(8)पॉच शोध छात्रों हेतु दीक्षा कार्यक्रम के अनुमोदन बाबत् प्रस्ताव।
प्रस्तुत दीक्षा कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया।

28/25(9) पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के स्नातकोत्तर कार्यक्रम की सी0डी0सी0की बैठक का कार्यवाही विवरण एवं कार्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति बाबत् प्रस्ताव अनुमोदानार्थ।

विद्या परिषद द्वारा पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के स्नातकोत्तर कार्यक्रम अभिकल्प समिति की संलग्न अनुशंसाओं एवं प्रस्तुत विस्तृत कार्यक्रम का अवलोकन कर उक्त विषय में स्नातकोत्तर कार्यक्रम को प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की।
शेष कार्यवाही विवरण को यथावत रखा गया ।

तत्पश्चात् आसन के प्रति धन्यवाद के साथ बैठक समपन्न घोषित की गई।

कुलसचिव
एवं सदस्य सचिव
विद्या परिषद

विद्या परिषद् की 29वीं बैठक दिनॉक 5/3/07 को ई0एम0पी0सी0भवन में आयोजित की गई बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:–

1. प्रो0 नरेश दाधीच — अध्यक्ष
   कुलपति
   वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा ।

2. प्रो0सी0के0ओझा — सदस्य
   सेवानिवृत आचार्य
   राज0वि0वि0,जयपुर।

3. प्रो0प्रवीण त्रिवेदी
   आचार्य — सदस्य
   राजस्थान वि0वि0,जयपुर।

4. डा0श्रीमती अनुराधा देशमुख — सदस्य
   यशवंत रा0च0म0ओ0यु0नासिक।

5. प्रो0 एम0डी0 अग्रवाल — सदस्य
   वमखुविवि,कोटा ।

6. प्रो0 पी0के0शर्मा — सदस्य
   वमखुविवि,कोटा ।

7. प्रो0 अनाम जेटली — सदस्य
   वमखुविवि,कोटा ।

8. प्रो0 एम0के0घड़ोलिया — सदस्य
   वमखुविवि,कोटा ।

9. डा0 श्रीमती कमलेश शर्मा — सदस्य
   वमखुविवि,कोटा ।

10. डा0 एल0आर0गुर्जर — सदस्य
    वमखुविवि,कोटा।

11. डा0 श्रीमती दामिना चौधरी — सदस्य
    वमखुविवि,कोटा।

12. श्री योगेश शर्मा — सदस्य
    वमखुविवि,कोटा ।

13. श्री जुगल किशोर शर्मा — सदस्य
    वमखुविवि,कोटा ।

14. डा0 अशोक शर्मा — सदस्य
वमखुविवि,कोटा ।

15, डा0 याकुब अली — सदस्य
वमखुविवि,कोटा ।

16. डा0 एच0बी0नंदवाना — सदस्य
वमखुविवि,कोटा ।

17 डा0 आर0के0जैन — सदस्य
वमखुविवि,कोटा ।

18. श्री सुधीर खैर — सदस्य
वमखुविवि,कोटा ।

19. डा0 श्रीमती शिप्रा लवानिया — सदस्य
निदेशक,क्षे0के0
वमखुविवि,,जोधपुर ।

20. डा0 एस0एन0अंबेडकर — सदस्य
वमखुविवि,कोटा ।

21. श्री एस0एम0वर्मा — सदस्य सचिव
कुलसचिव
वमखुविवि,कोटा।

आवश्यक गणापूर्ति के उपरांत बैठक प्रारंभ करने की घोषणा करते हुए सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय ने विद्या परिषद की 29वीं बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हए बताया कि माह दिसंबर 2006 में आयोजित 28वीं विद्या परिषद की बैठक में विद्या परिषद की नियमित बैठक आयोजित किये जाने सम्बन्धी निर्णय के क्रम में आज की बैठक का आयोजन तीन माह की अवधि में ही किया गया है। माननीय कुलपति महोदय ने सदस्यों को अवगत करवाया कि विश्वविद्यालय द्वारा माह जुलाई 2007 से कई नये पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जा रहे है,जिनके सम्बन्ध में प्रारंभिक तैयारियॉ पूर्ण कर ली गई है, तथा आज की बैठक मे भी उक्त पाठ्यक्रमों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की जावेगी । माननीय कुलपति महोदय ने विद्या परिषद मे मनोनीत किये गये तीन नये शिक्षाविद्वों सर्व श्री प्रो0 प्रवीण त्रिवेदी,राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, श्री प्रो0सी0के0ओझा सेवानिवृत आचार्य राज0वि0वि0 जयपुर एवं डा0 श्रीमती अनुराधा देशमुख य0रा0च0महा0ओ0यु0नासिक का स्वागत करते हुए विद्या परिषद की बैठक में उपस्थित होने के लिये आभार व्यक्त किया तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए प्रस्तुत प्रस्ताव पर बिंदुवार चर्चा प्रारंभ कर निम्नानुसार निर्णय किये गये:-

29/01 विद्या परिषद की 28 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

विद्या परिषद की 28 वीं बैठक दिनॉक 4/12/06 के मूल कार्यवाही विवरण जो दिनांक 14/12/06 को प्रेषित किया था पर सदस्यों से प्राप्त अभिमत के आधार पर जारी किये गये संशोधित आदेश दिनांक 17/1/07 का विद्या परिषद के सदस्यों द्वारा अवलोकन करने के बाद विद्या परिषद की 28वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

29/02 विद्या परिषद 28 वीं बैठक में लिये गये निर्णयों के कम में अनुपालना प्रतिवेदन के अनुमोदन बाबत् प्रस्ताव।

विद्या परिषद की 28 वीं बैठक में लिये गये निर्णयों के कम में की गई कार्यवाही का बिंदुवार अवलोकन कर यह अभिमत व्यक्त करते हुए निर्णय किया गया कि पिछली बैठक में जितनी भी समितियों का गठन किया गया है उन समितियों के संयोजकगण समिति की अभिशंसाएं आगामी बैठक से पूर्व प्रस्तुत करें साथ ही यह भी निर्णय किया गया कि समिति के सदस्य सचिवगणों को भी समिति की बैठक अविलंब आयोजित करवाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु कुलसचिव कार्यालय से भी पत्र जारी किया जावे। तथा जिन समितियों में सदस्यों का मनोनयन अन्य अधिकारियों द्वारा किया जाना है उन्हें भी पुनः स्मरण पत्र लिखा जाकर सदस्यों का मनोनयन करने हेतु निवेदन किया जावे तत्पश्चात 28वीं बैठक में लिये गये निर्णय के कम में की कार्यवाही के संबंध में प्रस्तुत अनुपालना प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया।

29/3 कंप्युटर ऐप्लीकेशन में पी0जी0डिप्लोमा पाठ्यकम प्रारंभ करने का प्रस्ताव।

कंप्युटर ऐप्लीकेशन में पी0जी0डिप्लोमा पाठ्यकम प्रारंभ करने बाबत् प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव का अवलोकन कंर निर्णय किया गया कि उक्त पाठ्यकम प्रारंभ किये जाने के सम्बन्ध में एक अध्यादेश तैयार किया जावे जिसमें पाठ्यकम का विस्तृत विवरण, व अन्य सभी बातों का समावेश हों उक्त अध्यादेश आगामी बैठक से पुर्व तैयार कर आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जावे । उक्त प्रस्ताव को आगामी बैठक हेतु स्थगित किया गया।

29/4 पोलट्री(कुक्कट पालन) प्रबंध पर पाठ्यकम प्रारंभ करने बाबत् प्रस्ताव।

पोलट्री(कुक्कट पालन) प्रबंध पर पाठ्यकम प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव का अवलोकन कर निर्णय लिया गया कि उक्त पाठ्यकम का भी अध्यादेश तैयार किया जावे जिसमें पाठ्यकम के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण व अन्य सभी बातों का समावेश हो। उक्त प्रस्ताव को आगामी बैठक हेतु स्थगित किया गया।

29/05 स्नातक पाठ्यकमों (बी0ए0/बी0कॉम)में एलीमेंट्री कंप्यूटर का प्रश्न पत्र प्रारंभ करने बाबत् प्रस्ताव।

स्नातक पाठ्यकमों बी0ए0/बी0कॉम0 एलिमेंट्री ऐप्लीकेशन का प्रश्न पत्र प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए निर्णय किया गया कि उक्त प्रश्न पत्र बी0ए0/बी0कॉम के द्वितीय वर्ष में लागू किया जावे।
बैठक में भविष्य के लिये यह भी निर्णय लिया गया कि कोई भी नया पाठ्यकम प्रारंभ करने सम्बन्धी प्रस्ताव पाठ्यकम संयोजक द्वारा निदेशक संकाय को प्रस्तुत किया जायगा तथा निदेशक संकाय द्वारा प्राप्त प्रस्ताव का पूर्ण परीक्षण करने के बाद विद्या परिषद की बैठक हेतु

आवश्यकतानुसार प्रस्ताव तैयार कर बैठक में प्रस्तुत करवाने हेतु कुलसचिव कार्यालय को अग्रेषित किया जावेगा ।

29/06 एम0फिल0 पाठ्यक्रमों हेतु आर्डिनेंस अनुमोदनार्थ।

विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न विषयों में प्रारंभ किये जाने वाले एम0फिल0 पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये अध्यादेश पर विस्तृत चर्चा के बाद सुझाये गये आवश्यक संशोधनों के बाद संलग्न अध्यादेश का अनुमोदन किया गया ।

29/07 एम0फिल0 अर्थशास्त्र एवं बी0ए0 कार्यक्रम हेतु पाठ्यक्रम विकास समिति के गठन बाबत् प्रस्ताव।

एम0 फिल अर्थशास्त्र एवं बी0ए0कार्यक्रम हेतु गठित पाठ्यक्रम विकास समिति के आदेश का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया ।
बैठक में एजेण्डे वार चर्चा व निर्णय करने के बाद माननीय कुलपति (अध्यक्ष विद्या परिषद) महोदय की अनुमति से प्रो0 अनाम जेटली जिनके पास निदेशक संकाय का कर्यभार भी है के द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा माह जुलाई 2007 में प्रारंभ किये जाने वाले नवीन पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित निम्नलिखित प्रस्ताव टेबल ऐजेंडा के रूप में प्रस्तुत किये गये जिन पर विद्या परिषद द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिये गये।

29/8(1) प्राकृत भाषा प्रमाण पत्र एवं अपभ्रंश भाषा में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम का सिलेबस एवं पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति बाबत् प्रस्ताव।
प्राकृत भाषा प्रमाण पत्र एवं अपभ्रंश भाषा में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम सम्बन्धी सिलेबस व अन्य बिंदुओं का अवलोकन कर सैद्धान्तिक रूप से माह जुलाई–2007 से पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति दी गई परंतु उक्त पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में विस्तृत अध्यादेश पृथक से तैयार कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये ।

विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में ली जाने वाली फीस के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि ली जाने वाली फीस की समीक्षा हेतु प्रो0 एम0डी0अग्रवाल के संयोजकत्व में एक कमेटी गठित की जावे जिसमें अन्य सदस्य प्रो0पी0के0शर्मा, प्रो0 अनाम जेटली, प्रो0 एम0के0 घड़ोलिया एवं प्रो0 सी0के0ओझा को रखा जाकर कमेटी का सदस्य सचिव उपकुलसचिव प्रवेश का बनाया जावे। उक्त समिति अपनी रिपोर्ट 25 मार्च 2007 से पूर्व आवश्यक रूप से कुलपति महोदय को प्रस्तुत करेगी। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि समिति द्वारा प्रस्तुत विभिन्न पाठ्यक्रमों की फीस सरंचना का अनुमोदन वित्त समिति की बैठक में भी करवाया जावे।

29/8(2) विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित स्नातक पाठ्यक्रमों(बी0एस0सी0, बी0कॉम0 एवं बी0ए0) के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन एवं पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति हेतु प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

प्रस्ताव के क्रम में प्रो0 अनाम जेटली द्वारा पटल पर रखे गये दस्तावेजों के आधार पर विद्या परिषद द्वारा विज्ञान,कला एवं वाणिज्य के स्नातक पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्णय लिये गये:–

1. बी0एस0सी0 पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने के सम्बन्ध में प्रो0 अनाम जेटली, निदेशक संकाय ने अवगत कराया कि विश्वविद्यालय द्वारा माह जुलाई 2007 से बी0एस0सी0 पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है इस सम्बन्ध में अब तक हुई कार्यवाही के बारे में जानकारी देते हुए

बताया गया कि विशेषज्ञ समिति की बैठक दिनॉक 4 जनवरी 2007 को आयोजित कर ली गई है साथ ही विषयवार विषय विशेषज्ञ एवं विभिन्न विषयों में होने वाले पेपर्स का निर्धारण भी कर लिया गया है तथा बी0एस0सी0पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में विस्तृत अध्यादेश भी बना लिया गया है। प्रस्तुत किये प्रस्ताव पर विस्तृत रूप से चर्चा करने के बाद बी0एस0सी0पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने की सहमति जताते हुए विशेषज्ञ समिति तथा विषय विशेषज्ञ समिति का अनुमोदन करते हुए बी0एस0सी0पाठ्यक्रम के अध्यादेश में आवश्यक संशोधनों के पश्चात् अध्यादेश अनुमोदित किया गया।

2. बी0ए0पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में बनाये गये अध्यादेश के क्रम में जानकारी देते हुए प्रो0 अनाम जेटली ने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जाने वाले बी0ए0पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में भी एक अध्यादेश बनाया गया है। बैठक में प्रस्तुत किये गये अध्यादेश पर विचार विमर्श के बाद आवश्यक संशोधन करते हुए उक्त अध्यादेश का अनुमोदन किया गया ।

बी0ए0पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों यथा राज0 विज्ञान,हिन्दी,समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र एवं अंग्रेजी के सम्बन्ध में गठित की गई विषय विषेषज्ञों की समिति का अनुमोदन करते हुए यह निर्णय किया गया कि विश्वविद्यालय में कार्यरत विभिन्न संकाय सदस्यों को भी सम्बन्धित विषय की विशेषज्ञ समिति / पाठ्यक्रम निर्माण समिति में रखा जावे ।

विभिन्न विषयों के लिये गठित विशेषज्ञ समितियों द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम ढॉचे का अनुमोदन करते हुए बी0 ए0 समाजशास्त्र के तृतीय वर्ष हेतु प्रस्तावित किये गये कोर्स संख्या 06 को पुनः पाठ्यक्रम निर्माण समिति को एक ही कोर्स प्रस्तावित करने हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया ।

3. बी0कॉम0पाठ्यक्रम हेतु गठित पाठ्यक्रम समीक्षा समिति द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम का अवलोकन कर उसका अनुमोदन किया गया ।

29/8(3) एम0फिल पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में गठित विषय विशेषज्ञ समिति/पाठ्यक्रम निर्माण समिति द्वारा प्रस्तावित विषयवार पाठ्यक्रम संरचना का अनुमोदन।

अर्थशास्त्र, इतिहास एवं राज0विज्ञान में प्रारंभ किये जाने वाले एम0फिल पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में गठित की गई विशेषज्ञ समिति/पाठ्यक्रम निर्माण समिति द्वारा विषयवार प्रस्तावित पाठ्यक्रम संरचना का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया ।

29/8(4) हिन्दी,समाज शास्त्र एवं अंग्रेजी के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्रोग्राम स्ट्रक्चर का अनुमोदन।

(i) हिन्दी, समाजशास्त्र एवं अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए प्रो0 अनाम जेटली द्वारा बताया गया कि उपरोक्त विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने के सम्बन्ध में गठित विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा विषयवार प्रस्तावित पाठ्यक्रम संरचना प्रस्तावित की गई है।समिति द्वारा प्रस्तावित संरचना का अवलोकन कर एम0ए0हिन्दी पूर्वार्द्ध हेतु प्रस्तावित पाठ्यक्रम का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया तथा उतरार्द्ध कक्षा हेतु प्रस्तावित पाठ्यक्रम में कोर्स संख्या 08 को पुनः विशेषज्ञ समिति विशेष अध्ययन सम्बन्धी कोर्स में एक ही विषय रखा जाकर कोर्स संरचना पुनः भिजवाने हेतु लिखे जाने का निर्णय किया गया।

(ii) एम0ए0 प्रीवियस समाजशास्त्र के पाठ्यक्रम में प्रस्तावित कोर्स संख्या 04 को पुनः विशेषज्ञ समिति को विभिन्न विकल्पों के स्थान पर एक ही कोर्स प्रस्तावित करने हेतु भिजवाने का निर्णय किया गया ,इसी प्रकार एम0ए0फाइनल समाजशास्त्र हेतु प्रस्तावित कोर्स संख्या 07, 08 एवं 09 हेतु भी प्रत्येक कोर्स हेतु एक पेपर ही प्रस्तावित करने के लिये प्रकरण पुनः विशेषज्ञ समिति को भिजवाने का निर्णय किया गया।

(iii) एम0ए0अंग्रेजी के लिये प्रस्तावित पाठ्यक्रम में से पुर्वाद्व के लिये प्रस्तावित पाठ्यक्रम का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया तथा एम0ए0उतारार्द्व हेतु प्रस्तावित पाठ्यक्रम में कोर्स संख्या 09 को पुनः विशेषज्ञ समिति को एक ही कोर्स तैयार कर प्रस्तावित करने हेतु भिजवाने का निर्णय किया गया।

(iv) विचार विमर्श उपरॉत यह भी निर्णय किया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों का विस्तृत संरचनात्मक ढॉचा तैयार किये जाने हेतु अध्यादेश तैयार करने के लिये प्रो0 एम0के0घड़ोलिया के संयोजकत्व में एक कमेटी गठित की जावे। यह समिति अध्यादेश तैयार कर एक माह में माननीय कुलपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत करेगी उक्त कमेटी मे अन्य सदस्य प्रो0 अनाम जेटली एवं प्रो पी0के0शर्मा को रखे ज़ाने का निर्णय किया गया ।

29/8(5) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम को रिव्यू करने बाबत् गठित समिति की अनुशंसाऐं अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ।
राजस्थानी भाषा व संस्कृति में चलाये जा रहे प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम के कोर्स के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए प्रो0 जेटली द्वारा बताया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान में राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में प्रमाण पत्र सम्बन्धी जो पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है उसकी समीक्षा के लिये गठित समिति ने वर्तमान में चल रहे तीन प्रश्न पत्रों के स्थान पर दो प्रश्न पत्र रखे जाने की अभिशंसा की है विद्या परिषद ने कमेटी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन कर उक्त पाठ्यक्रम हेतु तीन प्रश्न पत्रों के स्थान पर दो प्रश्न पत्र किये जाने का अनुमोदन करते हुए कमेटी द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम का भी अनुमोदन किया ।
29/8(6) विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान में संचालित बी0जे0 एम0सी0 का एक वर्षीय पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में पाठ्यक्रम निर्माण समिति द्वारा की गई अभिशंसा के अनुसार कार्यवाही किये जाने का अनुमोदन करते हुए विस्तृत अध्यादेश बनाने के निर्देश दिये गये।

29/8(7) जल संसाधन प्रबंध एवं जल संग्रहण प्रबंधन पर एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने की अनुमति बाबत् प्रस्ताव।
जल संसाधन प्रबधन एवं जल संग्रहण प्रबंधन के सम्बन्ध में एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने के सम्बन्ध में अवगत करवाते हुए माननीय कुलपति महोदय ने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा जल संसाधन प्रबंधन एवं जल संग्रहण प्रबंधन पर एक वर्षीय डिप्लोमा सम्बन्धी पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है, इस सम्बन्ध में पाठ्यक्रम निर्माण समति द्वारा प्रस्तावित डिप्लोमा पाठ्यक्रम का बाद अवलोकन प्रारंभ किये जाने हेतु सैद्वान्तिक रूप से सहमति दी गई तथा उक्त पाठ्यक्रमों के संबंध में पृथक से अध्यादेश तैयार किये जाने का भी निर्णय किया गया।

29/8(8) राजस्थान मिशन आफ लाइव्लिहुड के साथ एम0ओ0यु0 करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में माननीय कुलपति महोदय द्वारा अवगत करवाया गया कि राजस्थान सरकार द्वारा प्रतिवर्ष लगभग एक लाख जीविकोपार्जन के साधन सृजित किये जाने के उद्धेश्य से राजस्थान मिशन ऑफ लाइवलिहुड का गठन किया गया है, उक्त संस्था द्वारा विभिन्न प्रकार के रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाते है, व प्रशिक्षणोपरांत मूल्यॉकन के आधार पर दक्षता प्रमाण पत्र दिये जाते है। उक्त मिशन द्वारा विश्वविद्यालय के साथ एम0ओ0यु0किये जाने का प्रस्ताव किया गया है इस सम्बन्ध में माननीय कुलपति महोदय ने यह भी अवगत करवाया कि एम0ओ0यु0 कि शर्तो के निर्धारण के लिये दो प्रतिनिधि मिशन आफ लाइव्लिहुड तथा दो प्रतिनिधि विश्वविद्यालय के रहेंगे व उक्त प्रतिनिधियों द्वारा आपसी सहमति से तैयार किये गये एम0ओ0यु0पर विश्वविद्यालय विचार करेगा । एजेंडे के साथ लाइव्लिहुड मिशन की गतिविधियों के संबंध में संलग्न नोट का अवलोकन कर बाद विचार विमर्श राजस्थान मिशन आफ लाइवलिहुड के साथ एम0ओ0यु0किये जाने की सहमति दी गई।

29/8(9) होटल एवं पर्यटन प्रबंधन संस्थान अमरावती से होटल एवं ट्यूरिज्म मैनेजमेंट (Academic) पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु एम0ओ0यु0किये जाने बाबत् प्रस्ताव।

पर्यटन एवं होटल प्रबंधन पर शैक्षणिक पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु होटल एवं पर्यटन प्रबंध संस्थान अमरावती के साथ एम0ओ0यु0 किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए माननीय कुलपति महोदय ने अवगत करवाया कि वर्तमान में उक्त संस्थान द्वारा यशवंत राव चव्हाण महा0 ओपन युनिवर्सिटी नासिक द्वारा शैक्षिक कार्यक्रम हेतु एम0ओ0यु0 किया हुआ है,इसी आधार पर हमारा विश्वविद्यालय

भी होटल प्रबंध एवं केटरिंग व्यवस्था में स्नातक पाठ्यक्रम , होटल एव पर्यटन प्रबंधन में स्नातक पाठ्यक्रम , आतिथ्येय एवं पर्यटन प्रबंधन मे एम0बी0ए0 पाठ्क्रम प्रारंभ करने हेतु उक्त संस्थान से एम0ओ0यु0 करना चाहता है उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श उपरॉत संस्थान से एम0ओ0यु0 किये जाने हेतु सहमति दी गई।

29/8(10) "एट योर सर्विस" (तकनीकी शिक्षा संस्थान),जयपुर से कम्प्युटर शिक्षा प्रशिक्षण हेतु एम0ओ0यु0किए जाने बाबत् प्रस्ताव।

इस प्रस्ताव को सैद्वन्तिक स्वीकृति देते हुए विद्या परिषद ने आगामी बैठक में इस विषय के सम्बन्ध में विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किये।

तत्पश्चात् आसन के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ ही बैठक समाप्त घोषित की गई।

कुलसचिव
एवं सदस्य सचिव
विद्या परिषद

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

कार्यवाही विवरण

विद्या परिषद की 30वीं बैठक

दिनांक 16 अप्रेल 07

:स्थान:
ई0एम0पी0सी0भवन
विश्वविद्यालय परिसर
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,
कोटा ।

विद्या परिषद की 30वीं बैठक दिनॉक 16/4/07 को ई0एम0पी0सी0भवन में आयोजित की गई बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:-

1. प्रो0 नरेश दाधीच — अध्यक्ष
   कुलपति
   वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा ।
2. प्रो0 एम0डी0 अग्रवाल — सदस्य
   वमखुविवि,कोटा ।
3. प्रो0 पी0के0शर्मा — सदस्य
   वमखुविवि,कोटा ।
4. प्रो0 अनाम जेटली — सदस्य
   वमखुविवि,कोटा ।
5. प्रो0 एम0के0घड़ोलिया — सदस्य
   वमखुविवि,कोटा ।
6. डा0 श्रीमती कमलेश शर्मा — सदस्य
   वमखुविवि,कोटा ।
7. डा0 एल0आर0गुर्जर — सदस्य
   वमखुविवि,कोटा।
8. डा0 श्रीमती दामिना चौधरी — सदस्य
   वमखुविवि,कोटा।
9. श्री योगेश शर्मा — सदस्य
   वमखुविवि,कोटा ।
10. श्री जुगल किशोर शर्मा — सदस्य
    वमखुविवि,कोटा ।
11. डा0 अशोक शर्मा — सदस्य
    वमखुविवि,कोटा ।
12. डा0 याकुब अली — सदस्य
    वमखुविवि,कोटा ।
13. डा0 एच0बी0नंदवाना — सदस्य
    वमखुविवि,कोटा ।
14. डा0 आर0के0जैन — सदस्य

वमखुविवि,कोटा ।

15. श्री सुधीर खैर — सदस्य
वमखुविवि,कोटा ।

16 श्री राकेश शर्मा — सदस्य
वमखुविवि,कोटा।

17. डा0 श्रीमती शिप्रा लवानिया — सदस्य
निदेशक,क्षे0के0
वमखुविवि,,जोधपुर ।

18. डा0 एस0एन0अंबेडकर — सदस्य
वमखुविवि,कोटा ।

19. श्रीगोपाल शर्मा — विशेष आमंत्रित
परीक्षा नियंत्रक
वमखुविवि,कोटा।

20. श्री एस0एम0वर्मा — सदस्य सचिव
कुलसचिव
वमखुविवि,कोटा।

आवश्यक गणापूर्ति के उपरांत बैठक प्रारंभ करने की घोषणा करते हुए सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय ने विद्या परिषद की 30 वीं बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों एवं पाठ्यक्रमों की जानकारी विद्या परिषद के सभी सदस्यों को हो सके इस उद्देश्य से विद्या परिषद की नियमित बैठक आयोजित करवाये जाने की श्रृंखला में आज की बैठक का आयोजन किया गया है,माननीय कुलपति महोदय ने अवगत कराया कि विद्या परिषद की 29 वीं बैठक में विश्वविद्यालय द्वारा माह जुलाई –2007 से प्रारंभ किये जाने वाले नये पाठ्यक्रमों के बारे में लिये गये निर्णय के क्रम में पाठ्यक्रम विकास समिति की बैठकों का आयोजन , पाठ्यक्रम का निर्माण आदि सम्बन्धी कार्य द्रुत गति से चल रहे हैं, विद्या परिषद द्वारा अनुमोदित सभी पाठ्यक्रमों को माह जुलाई 2007 के प्रवेश सत्र से प्रारंभ करने की कार्यवाही की जा रही है। माननीय कुलपति महोदय ने यह भी अवगत कराया कि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों के अध्यादेश अभी तक नहीं बनाये जाने के कारण सभी पाठ्यक्रमों के अध्यादेश भी तैयार कर विद्या परिषद के अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किये जा रहे है ताकि भविष्य में कोई विधिक परशानी उत्पन्न नहीं हो। तत्पश्चात् माननीय कुलपति महोदय द्वारा कुलसचिव को विद्या परिषद की कार्यवाही प्रारंभ किये जाने के निर्देश उपरॉत प्रस्तुत प्रस्तावों पर बिंदुवार चर्चा प्रारंभ कर निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

30/01 विद्या परिषद की 29 वीं बैठक दिनॉक 05/03/07 के कार्यवाही विवरण एवं अब तक की गई कार्यवाही का अनुमोदन ।

दिनॉक 5/3/07 आयोजित विद्या परिषद की 29 वीं बैठक के 21 मार्च 2007 को भिजवाये गये कार्यवाही विवरण एवं उक्त बैठक में लिये गये निर्णयों के कम में आज दिनॉक तक की गई कार्यवाही का अनुमोदन किया गया ।

30/02 राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षक एवं अधिकारी नियुक्ति हेतु चयन अधिनियम 1974 के तहत गठित की जाने वाली चयन समिति में विषय विशेषज्ञों के पैनल का अनुमोदन।

उक्त बिंदु के सम्बन्ध में माननीय कुलपति महोदय ने विद्या परिषद को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय द्वारा निकट भविष्य में हिन्दी एवं अंग्रेजी विषय में सहायक आचार्य के पदों की सीधी भर्ती एवं विभिन्न विषयों में कार्यरत शिक्षकों को यु0जी0सी0 की कैरियर एडवांसमेंट स्कीम में पदौन्नति दिये जाने के सम्बन्ध में राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षक एवं अधिकारी नियुक्ति अधिनियम 1974 के तहत गठित की जाने वाली चयन समिति में विषय विशेषज्ञों का पैनल तैयार किये जाने की कार्यवाही निदेशक संकाय द्वारा की गई है जिसमें प्रत्येक विषय मे लगभग 25 विषय विशेषज्ञों की सूची तैयार की गई है,उक्त सूची में विभिन्न विश्वविद्यालयों में कार्यरत प्रोफेसर्स सेवा निवृत प्रोफेसर्स एवं अन्य प्रमुख अनुभवी शिक्षाविद्वों के नाम सम्मिलित किये गये है। माननीय कुलपति महोदय ने अवगत करवाया कि निदेशक संकाय ने हिन्दी,अंग्रेजी,राज0विज्ञान,इतिहास,प्रबंध,अर्थषास्त्र पुस्कालय विज्ञान ,कंप्युटर साइंस, शिक्षा तथा भारतीय परंपरा एवं संस्कृति विषय पर पैनल प्रस्तुत किया गया है। माननीय कुलपति महोदय ने निदेशक संकाय द्वारा तैयार किये गये पैनल को बैठक के दौरान पटल पर प्रस्तुत करते हुए सदस्यों से अनुरोध किया कि उक्त पैनल में से किसी विषय विशेष के पैनल को कोई सदस्य देखना चाहे तो उनके पास उपलब्ध पैनल का अवलोकन कर सकते है इस पर विद्या परिषद के सभी सदस्यों ने पटल पर प्रस्तुत विभिन्न विषयों के पैनल का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया।

30/03 विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यकमों के अध्यादेशों का अनुमोदन।

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यकमों में से निम्नलिखित पाठ्यकमों के अध्यादेश प्रो0 अनाम जेटली (निदेषक संकाय) द्वारा बैठक में प्रस्तुत किये गये :–

1. स्नात्तकोत्तर डिग्री के पाठ्यकमों से सम्बन्धित अध्यादेश।
2. वाणिज्य में स्नातक डिग्री के पाठ्यकम का अध्यादेश ।
3. पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक डिग्री पाठ्यकमके अध्यादेश।
4. पत्रकारिता में स्नातक डिग्री पाठ्यकम का अध्यादेश ।
5. विश्वविद्यालय द्वारा संचालित सर्टिफिकिट एवं डिप्लोमा सम्बन्धी सभी पाठ्यकमों का अध्यादेश ।

स्नातकोत्तर एवं प्रमाण पत्र व डिप्लोमा सम्बन्धी पाठ्यकमों के बारे में अध्यादेश तैयार किये जाने के लिये प्रो0 एम0के घडोलिया के संयोजकत्व में गठित समिति द्वारा प्रस्तुत अध्यादेश एवं डिग्री सम्बन्धी पाठ्यकमों के लिये विषय संयोजक द्वारा प्रस्तुत किये गये उक्त पाठ्यकमों के अध्यादेशों पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श के बाद उपरोक्त वर्णित पाठ्यकमों हेतु संलग्न (परि0–01) संशोधित अध्यादेशों का अनुमोदन किया गया ।

30/04 (1) पी0जी0डी0सी0ए0 एवं पोलट्री सम्बन्धी पाठ्यक्रमों के अध्यादेश अनुमोदनार्थ।

पी0जी0डी0सी0ए0 एवं पोलटी पाठ्यक्रमों के अध्यादेश /नियम जो कि विषय संयोजक श्री राकेश शर्मा द्वारा प्रस्तुत किये गये थे, उक्त अध्यादेश/नियमों के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि उक्त पाठ्यक्रमों के लिये तैयार किये गय अध्यादेशों/नियमों हेतु प्रो0 अनाम जेटली के संयोजकत्व में एक समिति जिसमें प्रो0पी0के0शर्मा, प्रो0 एम0के0 घडोलिया,एवं श्री राकेश शर्मा को सदस्य बनाया जाकर उक्त पाठ्यक्रमों हेतु बनाये गये अध्यादेश/नियमों का परीक्षण कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने के साथ प्रस्ताव को आगामी बैठक हेतु स्थगित किया गया ।

30/04 (2) एम0ए0 ऐज्युकेशन पाठ्यक्रम की पाठ्यक्रम विकास समिति की दिनॉक 09 एवं 10 दिसंबर 2006 को आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण अनुमोदनार्थ ।

एम0ए0ऐज्युकेशन के सम्बन्ध में शिक्षा संयोजक द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम निर्माण समिति की दिनॉक 09 एवं 10 दिसंबर 2006 को आयोजित बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करते हुए पाठ्यक्रम निर्माण समिति द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम संरचना का सैद्यान्तिक रूप से अनुमोदन करते हुए यह निर्णय लिया गया कि उक्त पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में भी एक विस्तृत अध्यादेश /नियम तैयार किया जावे, इसके लिये प्रो0 अनाम जेटली के संयोजकतव में एक कमेटी गठित किये जाने के निर्देश दिये गये जिसमें प्रो0 पी0के0शर्मा, प्रो0 एम0के0घडोलिया एवं डा0 श्रीमति दामिना चौधरी को सदस्य बनाया गया व विद्या परिषद की आगामी बैठक में उक्त पाठयक्रम के सम्बन्ध में अध्यादेश पेश करने का निर्णय लिया गया ।

30/04(3) विद्या परिषद की 28 वीं बैठक दिनॉक 4/12/06 के निर्णय संख्या 28/06 के क्रम में परीक्षा शुल्क आगामी परीक्षा हेतु स्थानांतरित किये जाने बाबत् प्रो0 एम0 डी0 अग्रवाल की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनॉक 16/3/07 के सलंग्न (परि0– 02) कार्यवाही विवरण एवं आवेदन पत्र का अनुमोदन कर यह निर्णय लिया गया कि बैठक में लिये गये निर्णयानुसार परीक्षा विभाग एवं प्रवेश विभाग आवश्यक कार्यवाही कर सम्बन्धितों का अवगत करवायें।

30/04 (4) लोक प्रशासन विषय में माह जुलाई–2007 से प्रारंभ किये जा रहे स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा दिनॉक 12 एवं 13 फरवरी 2007 को आयोजित बैठक के संलग्न (परि0– 03) कार्यवाही विवरण में पाठ्यक्रम संरचना के सम्बन्ध में दी गई अभिशंसाओं का अनुमोदन किया गया ।

30/04 (5) विद्या परिषद की 28 वीं बैठक के निर्णय संख्या 28/8 के क्रम में प्रो0एम0डी0अग्रवाल की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दिनॉक 15/3/07 को आयोजित बैठक के संलग्न (परि0– 04) कार्यवाही विवरण का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया तथा निर्णय लिया गया कि माह जुलाई–07 से सभी तरह के शैक्षणिक पाठ्यक्रमों हेतु समिति की अभिशंसाओं के अनुसार आवश्यक आदेश परीक्षा विभाग द्वारा जारी किये जायंगे।

30/04 (6) प्रो0 अनाम जेटली ने विद्या परिषद को अवगत करवाया कि विश्वविद्यालय डी0एस0कोठारी एवं सत्यप्रकाष जोशी की स्मृति में दो वार्षिक मेमोरियल व्याख्यान आयोजित करवाना चाहता है इस सम्बन्ध में दोनों व्याख्यानों की पृष्ठभुमि के बारे जानकारी देते हुए प्रो0 जेटली ने बताया कि विश्वविद्यालय विज्ञान विषय में पाठ्यक्रम प्रारंभ करने जा रहा है इस कारण डी0एस0कोठारी जो कि राजस्थान के ख्यातिनाम वैज्ञानिक रंहे है जिनके द्वारा वैज्ञानिक शोधों के अलावा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिये अपना महत्वपूर्ण योगदान किया है,उनकी स्मृति में उक्त विषयक व्याख्यानमाला का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है,इसी प्रकार विश्वविद्यालय द्वारा

राजस्थानी भाषा संस्कृति एवं साहित्य लोक कला आदि के समबन्ध में भी पाठ्यक्रम चलाये जा रहे है,इसलिये सत्यप्रकाश जोषी जो कि राजस्थानी भाषा के ख्यातनाम कवि रहे है तथा राजस्थानी भाषा में उनके द्वारा दिये गये योगदान की तुलना अंग्रेजी कवि शेलि किट्स एवं ब्रेयरान से की जाती है। ऐसी स्थिति में सत्यप्रकाश जोशी की स्मृति में भी एक व्याख्यान आयोजत किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त दोनो व्याख्यानमाला आयोजित किये जाने हेतु कमशः एक एक लाख रूपये का बजट प्रावधान रखा जाना भी प्रस्तावित है,।

प्रो0 जेटली द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का विद्या परिषद ने सर्वसम्मति से अनुमोदन कर उक्त विषयक व्याख्यानमालाओं के आयोजन हेतु समुचित बजट प्रावधान किये जाने के प्रस्ताव निदेशक संकाय द्वारा वित्त अधिकारी को पृथक से भिजवाये जावेंगे।

30/04 (7) प्रो0 अनाम जेटली ने पाठ्यक्रम संयोजक विषय संयोजक एवं परामर्शदाताओं के कार्यो के निर्धारण के सम्बन्ध में माननीय कुलपति महोदय द्वारा निदेशक संकाय के संयोजकत्व में गठित की गई समिति के दिनॉक 14 अप्रेल 2007 के कार्यवाही विवरण को विद्या परिषद के समक्ष प्रस्तुत करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किये जाने वाले विभिन्न पाठ्यकमों हेतु नियुक्त किये जाने वाले पाठ्यकम संयोजक, विषय संयोजक एवं परामर्शदाताओं द्वारा किये जाने वाले कार्यो के बारे में अवगत करवाते हुए कार्यवाही विवरण अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया ।

उक्त संलग्न (परि0– 05) कार्यवाही विवरण को विद्या परिषद द्वारा अनुमोदित करते हुए पाठ्यकम संयोजक की चयन प्रकिया,उन्हें दिये जाने वाले मानदेय आदि के सम्बन्ध में पृथक से समिति गठित कर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

30/04 (8) माननीय कुलपति महोदय ने डा0 अशोक शर्मा सह आचार्य राज0 विज्ञान द्वारा आगामी दीक्षॉत समारोह में प्रो0 वी0 आर0मेहता को मानद उपाधि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में उनके समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए अवगत करवाया कि प्रो0 मेहता इस विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति रहे है, साथ ही अंतराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शिक्षाविद्व होने के साथ साथ राजस्थान में दूरस्थ शिक्षा के जनक भी रहे है, इसलिये प्रो0 वी0आर0 मेहता को वि0वि0 द्वारा आयोजित किये जाने वाले आगामी दीक्षॉत समारोह में डि0लिट0की मानद उपाधि प्रदान करने के सम्बन्ध में विद्या परिषद के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया।
उक्त प्रस्ताव पर विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मति से प्रो0 वी0आर0मेहता को आगामी दीक्षॉत समारोह में डी0लिट की मानद उपाधि दिये जाने का अनुमोदन करते हुए इस सम्बन्ध में आगामी कार्यवाही किये जाने हेतु माननीय कुलति महोदय को अधिकृत किया ।

तत्पश्चात् आसन के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

कुलसचिव
एवं सदस्य सचिव
विद्या परिषद

VARDHAMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY, KOTA

Ordinance Relating to Master's Degree Examination:

1. General:

The Vardhaman Mahaveer Open University, Kota shall launch Post graduate programmes in any discipline after the prior approval of the Academic Council. All such P.G. Programmes shall be governed by the following general guidelines. These rules shall come into force from the admissions for the academic year starting from July, 2007

1.1 The Master's Degree (abbreviated as M.A., M.Sc., and M.Com.) aims at advancing knowledge in the respective subjects. Master's Degree Programmes will be started in as many faculties and subjects as approved by the Academic Council.

1.2 The examination for the Degree of the Master of Arts, Master of Science and Master of Commerce shall consist of two parts viz., the Previous and the Final Examination. A candidate with Bachelor's Degree (TDC) shall be admitted in the previous examination of the Master's Degree. No admission will directly be granted to the Final year. B.A. Degree holders will not be admitted to the M.Sc. Degree examination.

1.3 A candidate who has been admitted to the Master's Degree Previous examination will be promoted to the final year examination after completion of one year. However, he/she will have to fill-up an application form and submit the same at the concerned Regional Centre. Such candidates will be required to appear at the examinations to clear due papers in subsequent examinations organized by the University twice a year before the expiry of the maximum duration allowed. There will be a ceiling of 56 Credits in any examination to cover his/her due papers

1.4 The prescribed fee will be paid by the student at the time of submission of the application for admission at the Regional Centres. The fee shall not be refundable.

The University reserves the right to revise fee schedule without any prior information to the student.

1.5 There shall be an examination at the end of the minimum duration of study i.e. 12 months in Previous and in Final years. After the expiry of the minimum period a candidate may appear in the examination twice a year in June and December till the expiry of the maximum period prescribed for the particular programme.

1.6 Applications received after the declared last date with late fee shall not be considered for admission in that Academic session. The Vice Chancellor shall be the competent Authority to extend the last date for the admission.

1.7 The minimum duration of Master's Degree Programme shall be Two years. The maximum period shall be 6 years.

1.8 A student shall be eligible for admission to a programme only if he / she possess the required minimum qualification(s) as prescribed by the university

1.9 There shall not be any limit for fresh students every year unless otherwise specified in any specific programme.

1.10 A Student shall be admitted to any of the programmes at the concerned Regional Centre of the University after submitting the prescribed application form along with the requisite fee.

1.11 An eligible student shall be given a Scholar Number that will be his/her Roll Number for the examination.

1.12 Practical/ Project work/ Dissertation (if any) will be treated as an essential component. Without completion of the Practical / Project work/dissertation the result will not be declared.

1.13 A Candidate will have the option to answer the question papers and write his/her dissertation either in English or Hindi.

2. Internal Assignments:

2.1 The weightage of Internal Assignment will be 20 percent. Two assignments will be given in each paper. The internal assignments shall be submitted to the

concerned Regional Center who will get them evaluated and send marks to the examination section.

2.2 Once completion of the minimum duration for Previous examination and for Final examination i.e. 1 year a candidate will be examined by means of written examination for each course of 100 marks (external - 80 and internal - 20). The minimum pass marks shall be 36% (Internal and external marks taken together) in each course (paper). The examiners for these courses (papers) will be appointed by the Vice-Chancellor on the recommendation of the subject committee.

2.3 Change in Regional Centre will be permitted in Master's degree Programme only if a candidate has applied for the same on prescribed form after paying requisite Fees.

2.4 A candidate will be examined by way of a written examination of 3 hours duration per course.

2.5 No candidate shall use unfairmeans or indulge in disorderly conduct at or in connection with examination. The explanation of unfairmeans and disorderly conduct given by the centre superintendent shall be final. Such cases will be reported to the University for Final Decision. The punishment will be decided by an unfairmeans committee appointed by the Vice-Chancellor. The recommendation of the Committee shall be finally approved by the Vice Chancellor.

2.6 The marks obtained in internal assessment and external examination shall be shown separately in the marks sheet. Successful candidates shall be classified as under: No division shall be awarded in the M.A. previous examination.

I - Division	-	60% & above
II - Division	-	48% less than 60%
Pass	-	36% & Less than 48%

The detailed syllabi and scheme of examination will be prepared by the respective Course Development Committees (CDC) of a subject and will be placed before the Academic Council for approval.

2.8 Any candidate who has appeared at the examination conducted by the University may apply for scrutiny of his / her marks and / or re-totalling of marks. Such applications shall be made to the Controller Examinations (CE) within 30 days of the declaration of result by paying the requisite fee. The final decision will be communicated to the candidate as early as possible.

2.9 Revaluation of answer books is not permitted. The answer books shall not be subject to any inspection or production before any external or internal authority except at the instance of the Vice - Chancellor.

Medium	:	The medium of the course material will be mentioned in the prospectus.
Duration	:	Minimum Duration – 2years Maximum Duration - 6 Years
Fee	:	Fee shall be decided by the University at the time of admission every year.
Credits	:	The total credit of the Master's degree Programme will be 72 consisting of (Papers) of 8 credits each of which 4 will be offered in Previous and 5 will be offered in the Final Year examination.

2.10 Re-registration

After completing the maximum duration of the study a candidate will be eligible for re- registration for one year to clear his/her due courses as per the University Rules.

2.11 Vice Chancellor shall be the competent authority to grant any relaxation in any of the provision above on reasonable grounds and his/her decision shall be final.

2.12 Pattern of Examination

- There will be 9 questions in each paper.
- A candidate is required to attempt 5 questions in all including Question Number One which shall be compulsory.
- All questions carry equal marks
- Question Number 1 will have 10 questions (very short answer type) covering the entire syllabus.

*****

VARDHAMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY, KOTA (RAJ.)

RULES FOR BACHELOR'S DEGREE PROGRAMME

The Vardhaman Mahaveer Open University will start a New scheme for admission to Bachelor's Degree Programme in the following discipline.

Bachelor of Commerce

1. **General :**

The New Scheme will come into force from the Admission for July, 2007 and onwards.

(a) Students shall not be eligible for admission to a programme of study for an examination unless they have passed the qualifying examination of the University or any other examination recognized by the University for the purpose and possess such minimum qualifications as may be prescribed by the University.

(b) Any candidate against whom an F.I.R. has been lodged by any competent authority of the University for misbehaviour for adoping unfair-means in the examination shall not be eligible for admission in any Programme of the University.

(c) The Government's Policy for Reservations shall be applicable for admission to programmes, wherever the minimum number of seats have been prescribed by the University. All students shall first be considered against General Category seats while preparing merit list. If the admission to any programme calls for a minimum eligibility percentage of marks in the qualifying examination the same will be applicable for admission on reserve seats also.

2. **Re-Registration :**

After completing the maximum duration of the study a candidate will be eligible for Re-Registration for one year to clear his/her due courses as per the University rules.

The Vice Chancellor shall be the competent authority to grant any relaxation in any of the provision above on reasonable grounds and his/her decision shall be final.

3. **Enrolment of Students :**

Student shall be admitted to any of the University Programme at the Regional Centres of the University after submitting the prescribed application form. The admitted student shall be given a scholar number and the scholar number will remain same till he passes the programme from the University. Change in the Regional Centre will be considered by the University if the candidate has applied for the same in the prescribed proforma by paying requisite fees.

4. **Change in Subjects :**

No student shall be permitted to change the subject up-to B.Com. Part II in the Bachelors Degree Programme, as all subjects are compulsory. The student has option of choosing the subjects at B.Com. Part III. Once chosen optional subjects shall remain fixed. In exceptional cases a student can change optional subjects.

5. **Examination :**

A candidate shall be eligible for appearing at the examination only after completing the minimum prescribed period for the examination of the respective programme. There will be only term end examination.

6. **Unfairmeans and Disorderly Conduct :**

No candidate shall use unfairmeans or indulge in disorderly conduct at or in connection with examination. The explanation of unfairmeans given by the Center Superintendent of Examination shall be final. Such cases will be reported to the University for final decision. The punishment will be decided by an Unfairmeans Committee appointed by the Vice-Chancellor. The recommendations of the committee shall be finally got approved from the Vice-Chancellor.

7. **Retotalling / Scrutiny of Marks :**

Any candidate who have appeared at the examination conducted by the University may apply for scrutiny of his/her marks and retotalling of marks. Such application shall be made to the C.E. within 30 days of declaration of the result by paying requisite fees. The final decision will be communicated to the students within 30 days. **Revaluation of answer books is not permissible.** The answer books shall not be subject to any inspection of production before any external or internal authority except of the instances of the Vice-Chancellor.

8. **Rules for Improvement of Division :**

A candidate who has passed a course or a programme shall not be permitted to reappear in the examination for the purpose of improvement in the division. However, he/she shall be eligible to appear in the not cleared courses examination as many times he/she wish to appear during the prescribed maximum time for passing a programme.

9. **Promotion to next higher class :**

Candidate will be eligible for promotion to next higher class only if they have completed the prescribed period of study for the examination (wherever applicable).

Bachelor of Commerce (Pass Course)

Scheme of Examination

B.Com. (Pass Course) Part - I

The number of courses (papers) and the maximum marks for each course together with the minimum marks required for passing the examination are shown in the scheme of examination against each subject, separately. It will be necessary for a

candidate to pass in the theory and in the practical separately, in a subject wherever applicable. Classification of successful candidates shall be as follows :-

First Division	- 60% marks or above
Second Division	- 48% to less than 60%
Pass	- 36% and less than 48%

Final Result will be declared after having passed all the subjects practicals provided a student have obtained a minimum pass mark in each subject i.e. 36%. No division shall be awarded at the Part First and Part Second Examinations.

Qualification/Eligibility :

Medium :	The course material shall be provided in Hindi Medium only by the University. However, students are at liberty to write either in Hindi or in English medium in the term-end examination.
Duration :	Minimum Duration - 3 Years Maximum Duration - 8 Years
Fee :	Fee shall be decided by the University at the time of announcement of admission every year.
Credits :	Overall 108 credits. A student shall not opt for more than 36 credits during an year for instructional purposes. However for examinations he may appear in 54 credits to cover up his due courses for evaluation.

11. **Rules for Admission of Students to the B.Com. Part – I Bachelor's Degree Examination (without 10+2) through informal scheme.**

A student without formal qualification i.e. 10+2 pass from a recognized Board shall be eligible for admission to B.Com. Pass Course, if they have attained 18 years of age and have passed B.C. P. or B.A.P./B.P.P. or any equivalent Examination from any recognized open University in the country. The course of the B.C.P. or B.A.P. study shall extend over a period of six months. There shall be admission and examinations at the end of six months in June and December of every year. The examination shall be conducted by means of written papers in the following streams for commerce :

B.C.P. for admission to B.Com.

(i) Preparatory Course in Commerce

(ii) Book-Keeping and Business Mathematics.

12. **Pattern of the B.Com. Programme :**

The Programme will have two types of courses :

(a) Compulsory Qualifying (Non-Credit) Courses (Papers).

(b) Elective Commerce Courses (Papers).

Bachelor of Commerce (Pass Course) Part I

The Courses of Study for the examination shall extend over a period for three years as an integrated course. There shall be an examination at the end of each year namely : Part I examination at the end of first year, Part II examination at the end of second year and Part III examination at the end of the third year.

Compulsory subjects to be offered in the first year (Non-credit courses)

S.N.	Title	Paper (Courses)	Duration	Max. Marks	Pass Marks	Credit
1.	General Hindi	One Paper	3 Hours	100	36	Nil
2.	Environmental Studies	One Paper	3 Hours	100	36	Nil

Compulsory Elective Courses (Papers) of Commerce

S.N.	Title	Paper (Courses)	Duration	Max. Marks	Pass Marks	Credit
		Subject : ABST				
1.	Financial Accounting Code : Com. 01	Paper I	3 Hours	100	36	6
2.	Business Statistics Code : Com. 02	Paper II	3 Hours	100	36	6
		Subject : Bus. Administration				
3.	Business Law Code : Com. 03	Paper I	3 Hours	100	36	6
4.	Business Communication Code : Com. 04	Paper II	3 Hours	100	36	6
		Subject : Eco. Adm. & F.M.				
5.	Business Economics Code : Com. 05	Paper I	3 Hours	100	36	6
6.	Business Environment Code : Com. 06	Paper II	3 Hours	100	36	6

A student will be required to offer all the 6 elective compulsory courses (papers) of 36 credits in the first year.

In addition to the elective compulsory commerce courses of 36 credits, a student will be required to qualify in two compulsory courses of First Year and the remaining two of Second year during the maximum duration i.e. 8 years: These four courses shall be non-credit courses.

I Year	II Year
(i) General Hindi	(iii) General English
(ii) Environmental Studies	(iv) Elementary Computer Application

Theory	Practices	Total
40	60	100

13. **Courses of Study :**

The Courses of study in each subject will be decided by the respective Course Development Committees for various courses. The subject-wise syllabus will be provided in advance of launching the Programme.

14. **Pattern of Examination :**

Duration of Examination of each theory paper - 3 hours

Note :

1. There will be 9 questions in each paper. Candidate is required to answer 5 questions in all including Q.No. 1 which is compulsory.
2. Q.No. 1 (very short answer type) will have 10 questions of covering entire syllabus.
3. All questions carry equal marks.

VARDHAMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY, KOTA (RAJ.)

RULES FOR BECHELOR'S DEGREE PROGRAMME IN LIBRARY & INFORMATION SCIENCE

1. General

The New Scheme will come into force from the Admissions for July, 2007 and onwards.

(a) A student shall not be eligible for admission to a programme of study for an examination unless he/she has passed the qualifying examination of the University or any other examination recognised by the University for the purpose and possesses such minimum qualifications as may be prescribed by the university.

(b) Any candidate against whom an F.I.R. has been lodged by any competent authority of the University for misbehaviour for adoping unfair means in the examination shall not be eligible for admission in any Programme of the University.

(c) The government's Policy for Reservations shall be applicable for admission to programmes. Where the minimum number of seats have been prescribed by the University, the students shall first be considered against General Category seats while preparing the merit list. If the admission to any programme calls for a minimum eligibility percentage of marks in the qualifying examination the same will be applicable for admission on reserved seats also.

2. Qualification / Eligibility

The Bachelor of Library & Information Science (BLS) Programme will be open for a student who have qualifications as under :-

- Graduate (TDC) or Equivalent with 50% marks from recognized university.

Or

- Masters Degree in any discipline.

Or

- Graduate (TDC) with Diploma in Library & Information Science.

Or

- Graduate (TDC) with Two Years of working experience in Library & Information Centres.

Or

- Bachelors Degree in Professional Areas (Engineering, Medicine, Pharmacy, Law etc).

Programme Code	:	BLS
Medium	:	The course material shall be provided in Hindi Medium only by the University. However, a student shall be at liberty to write either in Hindi or in English medium in the term - end examination.
Duration	:	Minimum Duration - 1 Years Maximum Duration - 4 Years
Fee	:	Fee shall be decided by the University at the time of announcement of admission every year.
Credits	:	Overall 40 credits. Each course consists of 5 credits.

2.1 Re-registration

After completing the maximum duration of the study a candidate will be eligible for re-registration for 1 year to clear his / her due courses as per university rules.

2.2 Vice-Chancellor shall be the competent authority to grant any relaxation in any of the provision above and his/her decision shall be final.

3. Enrolment of Students

A student shall be admitted to any of the University Programme at the Regional Centres of the University after submitting the prescribed application form. The admitted student shall be given a scholar number and the scholar number will remain same till he passes the programme from the University. Change in the Regional Centre will be considered by the University if the candidate has applied for the same in the prescribed proforma by paying the requisite fees.

4. Scheme of Study

The Bachelor of Library & Information Science (BLS) Programme consists of 8 Courses. The courses are as under :

1.	BLS - 01	-	Library & Society
2.	BLS - 02	-	Library Classification & Catalouging - Theory
3.	BLS - 03	-	Library Classification - Practice
4.	BLS - 04	-	Library Catalouging - Practice
5.	BLS - 05	-	Library Management
6.	BLS - 06	-	Information Sources
7.	BLS - 07	-	Reference & Information Services
8.	BLS - 08	-	Computer : Basics & Applications

4.1 Counselling Sessions / Contact Camp

Counselling sessions for each course will be held at Regional Centres of the University only. Course - 3 and Course - 4 will be taken up in the Contact Camp. Minimum 2/3 attendance will be compulsory in the camp.

5. Scheme of Examination

There will be examination at two levels (i) Internal Assignment (30% Weightage) and (ii) Term End Examination (70% Weightage).

The number of courses (papers) and the maximum marks for each course together with the minimum marks required for passing the examination are shown in the scheme of examination against each course, separately. It will be necessary for a candidate to pass in the term end examination and in the Internal Assignment in each courses separately. Classification of successful candidates shall be as follows:

First Division	-	60% marks or above
Second Division	-	48% to less than 60%
Pass	-	40% to less than 48%

The candidate who securing 36% of marks in each course will be declared pass in a individual course. However, for passing the complete programme a candidate shall be required to obtain a minimum of 40% marks in aggregate in all the papers (Internal and External assessment taken together) If a candidate clear individual course (paper) but fails to secure aggregate marks required to pass the programme he/she shall be at liberty to reappear either in internal or external examinations.

Bachelor of Library & Information Science

Scheme of Examination

S. NO.	NAME OF COURSE	DURATION	MAX. MARKS-100				CREDIT
			Internal Assign ment	Min. Pass Marks	Term End Exam	Min. Pass Marks	
1	Library & Society	3 hrs.	30	11	70	25	5
2	Library Classification & Catalouging - Theory	3 hrs.	30	11	70	25	5
3	Library Classification Practice	3 hrs.	30	11	70	25	5
4	Library Catalouging - Practice	3 hrs.	30	11	70	25	5
5	Library Management	3 hrs.	30	11	70	25	5
6	Information Sources	3 hrs.	30	11	70	25	5
7	Reference & Information Services	3 hrs.	30	11	70	25	5
8	Computer : Basics & Applications	3 hrs.	30	11	70	25	5
			Total Marks - 800				
	Marks Required to Pass BLS Programme - 320						

5.1. Pattern of Examination Course Wise (Paper)

Duration of Examination of each theory Course (paper) - 3 hours

In BLS - 01, BLS - 05, BLS - 06 and BLS - 08

A candidate will be required to answer any 5 questions out of 10 questions. All questions carries equal marks.

In BLS - 02 and BLS - 07.

There will be 2 sections in each paper. Section - A will have 5 questions and Section-B will have 5 questions. A candidate will be required to answer any 5 questions in all, selecting atleast 2 questions from each sections.

In BLS - 03 there will be 2 sections in this paper. Section-A will have 3 questions and Section - B will have 3 questions. Titles from Section - A are to be classified according to Colon Classification (Edition - 6, reprint) and Section - B according to Dewey Decimal Classification, 19th Edition. All questions are to be attempted compulsorily.

In BLS - 04 there will be 3 sections in this paper. A candidate will be required to Catalogue 5 titles only, selecting 2 titles from Section - A and 2 titles from Section-B and Section - C is compulsory. Titles from Section - A are to be catalogued according to Classified Catalogue Code (CCC 5th Edition Ammended), Section-B according to AACR-2 and titles of Section - C is to be Catalogued Either According to CCC or AACR-2.

5.2 Unfairmeans and Disorderly Conduct

No candidate shall use unfair means or indulge in disorderly conduct at or in connection with examination. The explanation of unfair means given by the centre superintendent of Examination shall be final. Such cases will be reported to the University for final decision. The punishment will be decided by an unfair means committee appointed by the Vice-Chancellor. The recommendations of the committee shall be finally approved by the Vice-Chancellor.

5.3 Retotalling / Scrutiny of Marks

Any candidate who has appeared at the examination conducted by the University may apply for scrutiny of his / her marks and retotalling of marks. Such application shall be made to the C.E. within 30 days of declaration of the result by paying the requisite fees. The final decision will be communicated to the students within as early as possible. **Revaluation of answerbooks is not permissible**. The answer books shall not be subject to any inspection or production before any external or internal authority except at the instance of the Vice-Chancellor.

6. Improvement of Division

A candidate who has passed a course or a programme shall not be permitted to reappear in the examination for the purpose of improvement in the division. However, he/she shall be eligible to appear in the not cleared courses / examination as many times he/she wishes to appear according to the prescribed maximum time for passing the relevant programme.

VARDHAMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY, KOTA (RAJ.)

RULES FOR BECHELOR'S DEGREE PROGRAMME IN JOURNALISM (MASS COMMUNICATION)

1. General

The New Scheme will come into force from the Admissions for July, 2007 and onwards.

(a) A student shall not be eligible for admission to a programme of study for an examination unless he/she has passed the qualifying examination of the University or any other examination recognised by the University for the purpose and possesses such minimum qualifications as may be prescribed by the university.

(b) Any candidate against whom an F.I.R. has been lodged by any competent authority of the University for misbehaviour for adoping unfair means in the examination shall not be eligible for admission in any Programme of the University.

(c) The government's Policy for Reservations shall be applicable for admission to programmes. Where the minimum number of seats have been prescribed by the University, the students shall first be considered against General Category seats while preparing the merit list. If the admission to any programme calls for a minimum eligibility percentage of marks in the qualifying examination the same will be applicable for admission on reserved seats also.

2. Qualification / Eligibility

The BJ(MC) Programme will be open for a student who has passed graduate examination (TDC) or equivalent from any recognised university.

Programme Code : BJ (MC)

Medium : The course material shall be provided in Hindi Medium only by the University. However, a student shall be at liberty to write either in Hindi or in English medium in the term - end examination.

Duration	:	Minimum Duration - 1 Years Maximum Duration - 4 Years
Fee	:	Fee shall be decided by the University at the time of announcement of admission every year.
Credits	:	Overall 40 credits. Each course consists of 5 credits.

2.1 Re-registration

After completing the maximum duration of the study a candidate will be eligible for re-registration for 1 year to clear his / her due courses as per university rules.

2.2 Vice-Chancellor shall be the competent authority to grant any relaxation in any of the provision above and his/her decision shall be final.

3. Enrolment of Students

A student shall be admitted to any of the University Programme at the Regional Centres of the University after submitting the prescribed application form. The admitted student shall be given a scholar number and the scholar number will remain same till he passes the programme from the University. Change in the Regional Centre will be considered by the University if the candidate has applied for the same in the prescribed proforma by paying the requisite fees.

4. Scheme of Study

The Bachelor of Journalism (Mass Communication) Programme consists of 8 Courses. The courses are as under :

1.	BJ - 01	-	Computer Application & Cyber Media
2.	BJ - 02	-	Communication & Developmental Communication
3.	BJ - 03	-	History of Mass Communication Media
4.	BJ - 04	-	Media Writing

5.	BJ - 05	-	Public Relations & Advertising
6.	BJ - 06	-	Editing, Layout & Printing
7.	BJ - 07	-	Management of Media Institutes & Media Laws
8.	BJ - 08	-	Practical Work / Project

Practical Work / Project

The object of Course - 08 BJ(MC) is to provide practical training to the learners. They have to complete the provided practical work. Learners have to study the system of different media institutes during this practical work. Application of the theoritical courses of (1 to 7 as stated above) will be done in this practical work / project. This course will be of 100 marks. A practical paper / project will be provided by the examination section of the university and same will be submitted to the controller of examination VMOU within stipulated time period. The project should be either handwritten or typed one. Learners have to follow the rules of project/ practical work.

4.1 Counselling Sessions / Contact Camp

Counselling sessions for each course will be held at different Study Centres of the University. A contact camp of 7 days will be held at only at Regional Centres headquarters.

5. Scheme of Examination

There will be examination at two levels (i) Internal Assignment (30% Weightage) and (ii) Term End Examination (70% Weightage).

The number of courses (papers) and the maximum marks for each course together with the minimum marks required for passing the examination are shown in the scheme of examination against each course, separately. It will be necessary for a candidate to pass in the term end examination and in the Internal Assignment in each courses separately. Classification of successful candidates shall be as follows:

First Division	-	60% marks or above
Second Division	-	48% marks less than 60%
Pass	-	40% marks to less than 48%

The candidate who securing atleast 36% of marks in each course will be declared pass in a individual course. However, for pass the complete programme the candidate shall be required to obtain a minimum of 40% marks in aggregate in all the papers (Internal and External assessment taken together). If a candidate clear individual course (paper) but fails to secure aggregate marks required to pass the programme he/she shall be at liberty to reappear either in internal or external examinations.

Bachelor of Journalism (Mass Communication)

Scheme of Examination

S. NO.	NAME OF COURSE	DURATION	MAX. MARKS-100				CREDIT
			Internal Assign ment	Min. Pass Marks	Term End Exam	Min. Pass Marks	
1	Computer Application & Cyber Media	3 hrs.	30	11	70	25	5
2	Communication and Developmental Communication	3 hrs.	30	11	70	25	5
3	History of Mass Communication Media	3 hrs.	30	11	70	25	5
4	Media Writing	3 hrs.	30	11	70	25	5
5	Public Relations & Advertising	3 hrs	30	11	70	25	5
6	Editing, Layout & Printing	3 hrs	30	11	70	25	5
7	Management of Media Institutes & Media Law	3 hrs.	30	11	70	25	5
8	Practical Work / Project				100	36	5

Total Marks - 800

Marks Required to Pass BJ(MC) Programme 320

5.1 Pattern of Examination

Duration of Examination of each theory Course (paper) - 3 hours

There will be two sections in each paper. Section-A will have 5 questions and section-B will have 5 questions. A candidate will be required to answer any five questions in all selecting atleast two question from each section.

5.2 Unfairmeans and Disorderly Conduct

No candidate shall use unfair means or indulge in disorderly conduct at or in connection with examination. The explanation of unfair means given by the centre superintendent of Examination shall be final. Such cases will be reported to the University for final decision. The punishment will be decided by an unfair means committee appointed by the Vice-Chancellor. The recommendations of the committee shall be finally approved by the Vice-Chancellor.

5.3 Retotalling / Scrutiny of Marks

Any candidate who has appeared at the examination conducted by the University may apply for scrutiny of his / her marks and retotalling of marks. Such application shall be made to the C.E. within 7 days of declaration of the result by paying the requisite fees. The final decision will be communicated to the students within as early as possible. **Revaluation of answerbooks is not permissible**. The answer books shall not be subject to any inspection or production before any external or internal authority except at the instance of the Vice-Chancellor.

6. Improvement of Division

A candidate who has passed a course or a programme shall not be permitted to reappear in the examination for the purpose of improvement in the division. However, he/she shall be eligible to appear in the not cleared courses / examination as many times he/she wishes to appear according to the prescribed maximum time for passing the relevant programme.

Approved

ORDINANCE RELATING ONE YEAR DIPLOMA PROGRAMMES OF VARDHAMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY, KOTA

The Vardhaman Mahaveer Open University, Kota shall launch one year Diploma Programme in any discipline after the prior approval of the Academic Council. All such Diploma Programmes shall be governed by the following general guidelines.

1. General

1.1 The admission to all the Diploma Programmes shall remain open throughout the year. The Diploma will be treated as UG diploma if the minimum admission eligibility is senior secondary (10+2) level. The Diploma will be treated as PG Diploma if the Minimum admission eligibility is Bachelor's(TDC) Degree The course of study for examination in Diploma shall extend over a period of 12 months unless otherwise specified.

1.2 There shall be an examination at the end of the minimum duration of study i.e. 12 months. After the expiry of the minimum period a candidate may appear in the examination twice a year in June and December till the expiry of the maximum period prescribed for the particular programme.

2. Enrolment of Students

2.1 A student shall be eligible for admission to a programme only if he / she possess the required minimum qualification(s) as prescribed by the university.

2.2 A Student shall be admitted to any of the programmes at the concerned Regional Centre of the University after submitting the prescribed application form along with the requisite fee.

2.3 Right to admission to the programme is reserved with the University.

2.4 An eligible student shall be given a scholar number that will be his/her roll number for the examination.

2.5 Practicals / project work (if any) will be treated as an essential component.

3. Change in Regional Centre

Change of the Regional Centre will be permitted in Diploma Programmes only if a candidate has applied for the same after paying the requisite Fees.

4. **Examination**

4.1 There shall be an examination after the minimum duration of study i.e.12 months. If a candidate fails to appear at the examination due to any reason or could not clear some courses he/she shall be at liberty to avail more chances during the maximum period prescribed for the respective programme. However he / she shall have to fill-up the examination form with the requisite examination fee.

4.2 A candidate will be examined by way of written a examination of 3 hours duration per course. The Maximum marks will be 100 per course. To pass a course a minimum of 36 per cent marks will be required.

4.3 There will be minimum four courses of 6 Credits each in all Diploma programmes. The details of the courses and the scheme of examinations will be given in prospectus.

4.4 All U.G Diploma programmes unless otherwise specified shall have 4 courses (papers) of 24 credits.

4.5 All P.G Diploma programmes unless otherwise specified shall have 5 courses (papers) of 30 credits.

5. **Unfairmeans and Disorderly Conduct**

No candidate shall use unfair means or indulge in disorderly conduct at or in connection with examination. The explanation of unfair means and disorderly conduct given by the centre superintendent shall be final. Such cases will be reported to the University for Final Decision. The punishment will be decided by an unfairmeans committee appointed by the Vice-Chancellor. The recommendation of the Committee shall be finally approved by the Vice Chancellor.

6. **Re-totalling / Scrutiny of Marks**

6.1 Any candidate who has appeared at the examination conducted by the University may apply for scrutiny of his / her marks and / or re-totalling of marks. Such applications shall be made to the Controller Examinations (CE) within 30 days of the declaration of result by paying the requisite fee. The final decision will be communicated to the candidate as early as possible.

6.2 Revaluation of Answer Books

Revaluation of answer books is not permitted. The answer books shall not be subject to any inspection or production before any external or internal authority except at the instance of the Vice - Chancellor.

Division	:	A Successful candidate shall be awarded a Diploma
		Classification of candidates shall be as follows:
	I- Division :	60% and above
	II – Division :	48 % to less than 60%
	Pass :	36% to less than 48%
Medium	:	The medium of the course material will be declared in the prospectus.
Duration	:	Minimum Duration - 12 Months Maximum Duration - 4 Years
Fee	:	Fee shall be decided by the University at the time of admission every year.
Re-registration		After completing the maximum duration of the study a candidate will be eligible for re- registration for one year to clear his/her due courses as per the University Rules.

Vice Chancellor shall be the competent authority to grant any relaxation in any of the provision above on reasonable grounds and his/her decision shall be final.

Pattern of Examination

- There will be 9 questions in each paper.
- A candidate is required to attempt 5 questions in all including Question N umber One which shall be compulsory.
- All questions carry equal marks
- Question Number 1 will have 10 questions (very short answer type) covering the entire syllabus.

*****

ORDINANCE RELATING TO 6 MONTHS CERTIFICATE PROGRAMME OF VARDHAMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY, KOTA

The Vardhaman Mahaveer Open University, Kota shall launch Certificate Programme of 6 months duration in any discipline after the prior approval of the Academic Council. All such Certificate Programmes shall be governed by the following general guidelines.

1. General

1.1 The admission to all the certificate programmes shall remain open throughout the year. The courses of study for examination shall extend over a period of six months.

1.2 There shall be an examination at the end of the minimum duration of study i.e. 6 months twice every year in June and December.

2. Enrolment of Students

2.1 A student shall be eligible for admission to a programme only if he / she possesses the required minimum qualifications as prescribed by the university.

2.2 A Student shall be admitted to any of the programmes at the concerned Regional Centre of the University after submitting the prescribed application form along with the fee.

2.3 An admitted student shall be given a scholar number that will be his/ her roll number for the examination.

3. Change in Regional Centre

Change of the Regional Centre will not be permitted in the Certificate Programmes.

4. Examination

4.1 There shall be an examination after the minimum duration of 6 months. If a candidate fails to appear at the examination due to any reason or fails in some courses he/she shall be at liberty to avail 3 more chances during the maximum period prescribed for the programme i.e. 2 years. However he / she shall have to fill-up the examination form with the requisite examination fee.

4.2 A candidate will be examined by way of a written examination of 3 hours duration per course. The Maximum marks will be 100 per course. To pass a course a minimum of 36 per cent marks per course will be required.

4.3 Unless otherwise specified there will be three courses of 6 credits each in all the 6 month Certificate Programmes. The details of the courses and the scheme of examinations will be given in prospectus.

5. Unfairmeans and Disorderly Conduct

No candidate shall use unfairmeans or indulge in disorderly conduct at or in connection with examination. The explanation of unfairmeans and disorderly conduct given by the centre superintendent shall be final. Such cases will be reported to the University for final decision. The punishment will be decided by an unfairmeans committee appointed by the Vice-Chancellor. The recommendation of the Committee shall be finally approved by the Vice Chancellor.

6. Re-totaling / Scrutiny of Marks

6.1 Any candidate who has appeared at the examination conducted by the University may apply for scrutiny of his / her marks and / or re-totaling of marks. Such applications shall be made to the Controller Examinations (CE) within 30 days of the declaration of result by paying the requisite fee. The final decision will be communicated to the candidate as early as possible.

6.2 Revaluation of Answer Books

Revaluation of answer books is not permitted. The answer books shall not be subject to any inspection or production before any external or internal authority except at the instance of the Vice - Chancellor.

Division : Successful candidates shall be awarded a certificate. Classification of candidates shall be as follows:

I- Division	60% and above
II - Division	48 % to less than 60%
Pass	36% to less than 48%

Medium	:	The medium of the course material will be declared in the prospectus.
Duration	:	Minimum Duration - 6 Months Maximum Duration - 2 Years
Fee	:	Fee shall be decided by the University at the time of admission every year.
Re-registration		After completing the maximum duration of the study a candidate will be eligible for re-registration for one year to clear his/her due courses as per the University Rules.

Vice Chancellor shall be the competent authority to grant any relaxation in any of the provision above on reasonable grounds and his/her decision shall be final.

Pattern of Examination

There will be 9 questions in each paper.

A candidate is required to attempt 5 questions in all including question number one which shall be compulsory.

All questions carry equal marks

Question number one will have 10 questions (very short answer type) covering entire syllabus.

****

63 परीक्षा विभाग   परि — 2

क्रमांक: वमखुविवि/परीक्षा/ 2007/   दिनांक

कार्यवाही विवरण

विद्या परिषद की 28वीं बैठक दिनांक 04/12/2006 के निर्णय संख्या 28/6 के तहत परीक्षा शुल्क आगामी परीक्षा हेतु स्थानान्तरित करने बाबत गठित समिति की बैठक दिनांक 16/03/2007 को प्रातः 11.30 बजे कुलपति सचिवालय के समिति कक्ष में आयोजित हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

1. प्रो0 एम0डी0 अग्रवाल, व0म0खु0वि0, कोटा
2. प्रो0 अनाम जैटली, व0म0खु0वि0, कोटा
3. डॉ0 एच0बी0 नन्दवाना, व0म0खु0वि0, कोटा
4. डॉ0 आर0के0 जैन, व0म0खु0वि0, कोटा
5. निदेशक क्षेत्रीय केन्द्र, व0म0खु0वि0, जोधपुर
6. वित्त अधिकारी, व0म0खु0वि0, कोटा
7. परीक्षा नियंत्रक, व0म0खु0वि0, कोटा

सदस्यों ने विचार विमर्श करने के उपरान्त निम्नलिखित अनुशंसाएं कीः-

1. सभी पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में प्रवेश विवरणिका में विद्यार्थियों के सूचनार्थ यह उल्लेख होना चाहिए कि पाठ्यक्रम की न्यूनतम अवधि पूर्ण होने पर किस माह में सत्रांत परीक्षा आयोजित की जावेगी। इसकी सूचना परीक्षा विभाग द्वारा विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी। (की उपयुक्त परीक्षा)
2. विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम की न्यूनतम अवधि पूर्ण होने पर सत्रांत परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने पर परीक्षा शुल्क आगामी परीक्षा हेतु स्थानान्तरित किया जा सकता है परन्तु विद्यार्थी को सत्रांत परीक्षा में न बैठ पाने की सूचना एवं परीक्षा शुल्क को आगामी परीक्षा में स्थानान्तरित करने हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा जो परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में सत्रांत परीक्षा की तिथि से दो माह पूर्व पहुंच जाना चाहिए अर्थात् दिसम्बर परीक्षा हेतु 21 अक्टूबर एवं जून परीक्षा हेतु 15 अप्रैल तक। तत्पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदनपत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। निर्धारित आवेदनपत्र का प्रारूप संलग्न है।

उक्त परीक्षा शुल्क आगामी परीक्षा में स्थानान्तरण करने हेतु विवरण एवं निर्धारित आवेदनपत्र प्रवेश विवरणिका में मुद्रित करवाया जावे।

बैठक आसन को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सम्पन्न हुई।

प्रो0 एम0डी0 अग्रवाल   प्रो0 अनाम जैटली   डॉ0 एच0बी0 नन्दवाना

डॉ0 आर0के0 जैन   निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र, व0म0खु0वि0, जोधपुर   वित्त अधिकारी

परीक्षा नियंत्रक

35

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा
परीक्षा विभाग
रावतभाटा रोड, कोटा-324010 राजस्थान

परीक्षा शुल्क आगामी परीक्षा हेतु स्थानान्तरण करने बाबत आवेदनपत्र

(यह आवेदनपत्र परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में परीक्षा प्रारंभ होने के दो माह पूर्व प्राप्त हो जाना चाहिए)

1. स्कॉलर नं० : ____________________
2. पाठ्यक्रम : ____________________
3. क्षेत्रीय केन्द्र : ____________________
4. विद्यार्थी का नाम : ____________________
5. पिता / पति का नाम : ____________________
6. पत्र व्यवहार का पता : ____________________
____
____
7. परीक्षा जिसमें सम्मिलित नही होना है : ____________________
8. परीक्षा में प्रविष्ट न होने का कारण :
____
____
____

हस्ताक्षर

दिनांक : ____________________

नोट : उपरोक्त आवेदन पत्र को पूर्णरूप से भर कर निम्न पते पर भिजवाएं तथा लिफाफे पर अपना स्कॉलर नं. व पाठ्यक्रम का नाम अवश्य लिखें।

परीक्षा नियंत्रक
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय
रावतभाटा रोड
कोटा-324010
राजस्थान

पार्ट–3

प्रतिवेदन

दिनांक: 12–02–2007
प्रतिवेदकः डा. बजरंग सिंह राठौड

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा के जयपुर स्थित क्षेत्रीय केन्द्र पर लोक प्रशासन स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम निर्माण हेतु विशेषज्ञ समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में निम्नलिखित विषय विशेषज्ञों ने भाग लिया :

1. प्रो. पी. सी. माथुर, सलाहकार
2. प्रो. संगीता शर्मा, राज. वि. वि., जयपुर
3. प्रो. आर.पी. शर्मा, सेवानिवृत प्रो., राज. वि. वि., जयपुर
4. प्रो. खालिद मिर्जा, लोक प्रशासन संस्थान, पटना वि.वि., पटना, बिहार
5. डा. सतीश पटेल, दक्षिण गुजरात वि.वि., सूरत
6. प्रो. शिवराज सिंह, लोक प्रशासन विभाग, हिमाचल प्रदेश वि.वि., शिमला
7. डा. अनिल कुमार ओझा, मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय, बिहार
8. डा. प्रीता जोशी, राज. वि.वि., जयपुर
9. डा. ओम प्रकाश महला, राज. वि.वि., जयपुर
10. डा. बजरंग सिंह राठौड, राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर

बैठक के प्रारंभ में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा के क्षेत्रीय केन्द्र जयपुर की निदेशक डा. सुषमा सिंघवी ने विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किए जा रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों की विस्तार से चर्चा की तथा सिंघवी ने कुछ उदाहरण देते हुए बताया कि स्कूली शिक्षा से वंचित तथा आयु पार कर चुके दूर–दराज के लोगों ने विभिन्न पाठ्यक्रमों में भाग लेकर कैसे शिक्षा प्राप्त की एवं दूरस्थ शिक्षा के प्रसार द्वारा उनके जीवन में किस प्रकार परिवर्तन हुआ।

बैठक में उपस्थित प्रो. एम. के. घडोलिया, निदेशक, योजना एवं विकास को प्रो. पी. सी. माथुर ने पत्राचार पाठ्यक्रम एवं खुला विश्वविद्यालय के क्या उद्देश्य हैं तथा अपने निर्धारित कार्यक्रमों में खुला विश्वविद्यालय कितना सफल रहा है, संभागियों के सम्मुख विस्तार से अपना मत प्रकट करने का निवेदन किया। प्रो. घडोलिया ने बताया कि परम्परागत शिक्षा की व्यवस्था आमने–सामने के सम्पर्क पर आधारित थी जो कि विभिन्न कारणों से सफल नहीं रही। छात्रों द्वारा बीच में अध्ययन छोड देना, आयु पार कर चुके छात्रों द्वारा अध्ययन जारी रखना, रोजगार के साथ शिक्षा को जारी रखना महत्वपूर्ण कारण रहे जिसके कारण शिक्षा की परम्परागत व्यवस्था अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल

रही। दूरस्थ शिक्षा के द्वारा इन सभी कारणों के विद्यमान रहते हुए भी शिक्षा प्रदान की जा सकती है। खुला विश्वविद्यालय द्वारा ज्ञान का प्रमाणीकरण किया जाता है तथा गुणात्मक शिक्षा पर बल भी दिया जाता है। छात्रों का शिक्षकों के साथ संवाद भी बना रहे इसके लिए सम्पर्क शिविर आयोजित किए जाते हैं। छात्रों के लिए डाक द्वारा घर पर पाठ्य–सामग्री भेजी जाती है अतः इसका नाम पत्राचार पाठ्यक्रम रखा गया। परन्तु खुला विश्वविद्यालय में और भी गुणात्मक एवं धनात्मक विशेषतायें हैं। छात्रों की समझ का स्तर ऊँचा रहता है। नियमित शिक्षा में छात्रों की आयु की दृष्टि से सजातीय आयु समूह होता है, अधिकांश छात्रों की आयु समान वर्ग की होती है जबकि खुला विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र विजातीय आयु समूहों के होते हैं। अन्त में प्रो. घडोलिया ने बताया कि खुला विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन की विभिन्न तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। प्रिन्ट मीडिया के साथ–साथ मल्टीमीडिया का भी प्रयोग किया जाता है। प्रो. घडोलिया द्वारा प्रस्तुत विचारों से खुला विश्वविद्यालय द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में नई दृष्टि मिली।

तत्पश्चात्, प्रो. पी. सी. माथुर ने विषय विशेषज्ञों का आव्हान किया है कि वे अपने विश्वविद्यालय में प्रवर्तित लोक प्रशासन के विषय के बारे में विस्तार से प्रकाश डालें।

प्रथम दिवस के प्रथम सत्र में डा. सतीश पटेल, दक्षिण विश्वविद्यालय गुजरात, सूरत ने बताया कि स्थापना के प्रारंभ से ही विश्वविद्यालय में लोक प्रशासन विषय का अध्ययन करवाया जा रहा है। गुजरात के लोग उद्यम क्रियाओं में अधिक विश्वास रखते हैं अतः पाठ्क्रम का निर्माण भी इस दृष्टि को ध्यान में रख कर किया गया कि लोगों द्वारा रोजगार एवं उद्यम क्रियाओं की पहल में पाठ्क्रम सफल हो, परन्तु यह प्रयास अधिक सफल नहीं रहा। तत्पश्चात् विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से ग्रेडिंग प्रणाली का शुभारंभ किया गया जिससे कि छात्र अपने आपको बाजार की क्रियाओं के साथ समायोजित कर सकें। इस व्यवस्था के तहत सेमेस्टर प्रणाली प्रारंभ की गयी। इसके तहत 50 प्रतिशत आंतरिक एवं 50 प्रतिशत बाह्य मूल्यांकन की व्यवस्था है। आंतरिक मूल्यांकन के अन्तर्गत दो Assignment तथा उनके प्रस्तुतीकरण की व्यवस्था की गई है। डा. पटेल ने बताया कि MPA के पाठ्क्रम में चार सेमेस्टर के अन्तर्गत 20 पेपर का अध्यापन करवाया जाता है। प्रत्येक पेपर 40 क्रेडिट के बराबर होता है तथा 1 क्रेडिट का भार 2.5 अंक के बराबर होता है। अध्ययन का कार्य सप्ताह में छः दिवस चलता है तथा प्रतिदिन 5 घंटे अध्ययन करवाया जाता है। डा. पटेल ने कहा कि लघु शोध प्रबंध चतुर्थ सेमेस्टर में अनिवार्य पेपर है। अनुसंधान प्रविधि का पेपर तृतीय सेमेस्टर में वैकल्पिक विषय के रुप में पढाया जाता है।

बैठक में उपस्थित सदस्यों के बीच इस बात पर चिंतन किया गया कि क्या बिना अनुसंधान प्रविधि के ज्ञान के लघु शोध प्रबंध का अनिवार्य विषय के रुप में रखा जाना उचित है? प्रो. पटेल ने विस्तार से बताया कि छात्रों को अनुसंधान प्रविधि का ज्ञान किन संस्थाओं के माध्यम से कराया जा रहा है। डा. पटेल ने बताया कि विश्वविद्यालय के समीप स्थित Center for Social Studies विभिन्न कार्यक्रम चला कर छात्रों को अनुसंधान प्रविधि की विभिन्न तकनीकों के बारे में विस्तार से जानकारी देता है। समय–समय पर विषय विशेषज्ञों के व्याख्यान भी आयोजित करवाये जाते हैं। डा. पटेल ने बताया कि विश्वविद्यालय की Research Methodology Cell for Social Sciences सतत् रुप से पाठ्क्रम आयोजित

करता है जिनका उद्देश्य अनुसंधान प्रविधि की समग्र जानकारी देना है। अध्यापकों के लिए चार सप्ताह के कार्यक्रम भी इस उद्देश्य हेतु चलाये जाते है। महाविद्यालय के प्राध्यापकों हेतु शनिवार एवं रविवार को इस प्रकार के पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

चर्चा के दौरान प्रो. शिवराज सिंह ने कहा कि अनुसंधान प्रविधि का ज्ञान छात्रों को अनिवार्य रुप से करवाया जाना चाहिए।

प्रो. आर. पी. शर्मा ने अनिवार्य विषय का प्रावधान रखने से पूर्व आधारभूत संरचना विकसित करने की बात कही।

डा. ओम महला ने कहा कि अनुसंधान प्रविधि विषय अनिवार्य पेपर के रुप में पढाया जाना चाहिए।

प्रो. संगीता शर्मा ने कहा कि सुरत् के Financial System in India, Human Resource Development, Basic Concepts in Computer Applications जैसे पेपर उपयोगी हैं। इनको खुला विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिये।

प्रो. प्रीता जोशी ने Crisis Management के पेपर को सम्मिलित करने का सुझाव दिया।

डा. बजरंग सिंह राठौड ने कहा कि यदि खुला विश्वविद्यालय के पाठ्क्रम में लघु शोध प्रबंध को सम्मिलित किया जाता है तो महाविद्यालय के व्याख्याताओं एवं स्कूल के योग्य शिक्षकों की गाइड़ के रुप में सेवाओं को लिया जा सकता है। प्रारंभ में इन शिक्षकों के लिए विश्वविद्यालय के स्तर पर अनुसंधान प्रविधि की आधारभूत जानकारी प्रदत्त की जा सकती है।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला के प्रो. शिवराज सिंह ने बताया कि लोक प्रशासन विभाग 1971 में अस्तित्व में आया। प्रारंभ में पंजाब विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम को स्वीकार किया गया। विश्वविद्यालय द्वारा स्नातकोत्तर, एम. फिल. तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। लगातार घटती प्राध्यापकों की संख्या के कारण पढाये जाने वाले पेपर की संख्या में कमी की गयी। लघु शोध प्रबंध के घटते गुणात्मक स्तर के कारण पुर्नविचार करना पड़ा। प्रो. सिंह ने विश्वविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग में प्रवर्तित विभिन्न पेपर्सें के बारे में विस्तार से चर्चा की।

सभी विषय विशेषज्ञों का मत था कि प्रशासनिक तकनीकों के पेपर को प्रारंभ किया जा सकता है।

Public Policy का पेपर बनाते समय पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम को मध्यनजर रखा जाए।

डा. ओम महला ने कहा कि हाल ही के वर्षों में जो नवीन विषय उभर कर आये हैं उनको विभिन्न पेपरों मे यथोचित स्थान दिया जाना चाहिए।

लोक प्रशासन संस्थान, पटना विश्वविद्यालय, पटना (बिहार) के प्रो. खालिद मिर्जा ने बताया कि बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय में लोक प्रशासन का अध्यापन स्नातकोत्तर स्तर पर नहीं करवाया जाता। संस्थान द्वारा चलाये जा रहे डिप्लोमा पाठ्यक्रम में भारतीय प्रशासन पर अधिक बल दिया जाता है। सामाजिक न्याय की समस्या, जाति की समस्या, राजनीति के अपराधीकरण की समस्या से जुडे विभिन्न पहलुओं पर सामयिक चर्चा की जाती है। बिहार की वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा सूचना के अधिकार, ई–गवर्नेंस, सूचना तकनीकी जैसे मुद्दों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। बिहार की वर्तमान सरकार सामाजिक विज्ञान के विषयों पर कम ध्यान दे रही है। बिहार में प्रशासनिक सेवाओं में सम्मिलित होने वाले अधिकांश लोग लोक प्रशासन का एक पेपर के रुप में चयन करते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग ने भी लोक प्रशासन के पाठ्यक्रम में समयानुकूल बदलाव किया है। प्रो. मिर्जा ने बताया कि पाठ्यक्रमों में परिवर्तन की प्रणाली काफी लोचशील है। पाठ्क्रमों में लगातार बदलाव किए जाते रहे हैं।

डा. अनिल कुमार ओझा ने बाबा भींमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर, बिहार में प्रवर्तित लोक प्रशासन के पेपर की विस्तार से चर्चा की। लोक प्रशासन एक पेपर के रुप में 1991 से विश्वविद्यालय में पढाया जा रहा है। डा. ओझा ने सुझाव दिया कि खुला विश्वविद्यालय के पाठ्क्रम निर्माण के समय IGNOU के M.A. Public Administration के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

प्रथम दिन के अन्त में इस विचार पर सभी सदस्य एक मत थे कि पाठ्यक्रम में अनुसंधान प्रविधि का पेपर अनिवार्य विषय के रुप में पढाया जाना चाहिए तथा विश्वविद्यालय द्वारा Student Support System एवं Teacher Support System प्रारंभ किया जाना चाहिए।

अन्त में प्रो. पी.सी. माथुर ने सभी संभागियों को विस्तार से चर्चा एवं प्रदत्त सुझावों हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया।

Workshop on the Syllabus of Public Administration

Minutes of the Deliberations on February 13, 2007

Dr. Ravindra Sharma welcomed the delegates and requested to Dr. Anil K. Ojha to present the syllabus of ICS of Public Administration.

Dr. Ojha presented the syllabus of Pre-exams of ICS and thereafter the Optionals of Public Administration Mains exam.

Comments of individual delegates were invited on the syllabus of these papers.

On the basis of discussions there was unanimity on the point that one paper of the Principles of Public Administration and one on Indian Administration should be compulsory in the M.A. syllabus.

Prof. P.C. Mathur mentioned that the evolution part of Indian administration should be improved and Prof. B.B. Misra's 5 volumes on Evolution of Indian Administration should be included in the bibliography of MA Public Administration syllabus. As and when possible, a Digest of these extremely valuable volumes should be prepared in Hindi after due negotiations with the Author and the Publisher. Dr. Satish L. Patel told that this book is already part of the syllabus of Surat University.

Prof. P.C. Mathur highlighted that Indian administration has evolved in *three* distinct phases: First, during the long phase of ancient-medieval statecraft with some modifications under British Paramounting; second phase being the planning era which began in 1950 and witnessed an unprecedented expansion in the administrative role and responsibilities of the state and, the third phase, which is as yet evolving in the post-1991 phase of Administrative Reforms following the adoption of Liberalisation, Privatisation and Globalisation as economic policies. Most Public Administration syllabi, he noted, were yet to include the third phase while most text-books and reference books pertaining to the second phase were essentially, a narrow historical narratives without induction and/or illumination of the *administrative principles*. This, he suggested, needed more dedicated efforts by Public Administration scholars.

Prof, Naresh Dadhich, VC, VMOU, joined the group of experts of Public Administration and enquired about the progress regarding the preparation of syllabus of Public Administration. Prof. P.C. Mathur appraised him about the progress.

Prof. Naresh Dadhich requested to all the delegates to frame syllabus at the earliest so that Public Administration can be introduced w.e.f July 2007 by the VM Open University, Kota.

Thereafter, all the delegates seriously deliberated upon and decided that the following nine papers shall be included in the syllabus:

(1) Principles of Public Administration
(2) Comparative Public Administration
(3) Indian Administration
(4) Personnel Administration
(5) Public Policy and Management
(6) Development Administration
(7) Economic Reforms, Regulatory Policies and **Financial Administration**
(8) Research Methodology
(9) E-Governance and Computer Applications **in Public Administration**

The group finalized the contents of paper 1, 2, 3, 6 and 7 and dispersed at 5.30 PM.

The meeting ended with thanks by all the participants and special thanks to Prof. Ravindra Sharma and Mr. Virendra Awana for all the help rendered in the successful conduct of the Meetings on February 12, 2007 and February 13, 2007.

(Prof. Ravindra Sharma)
February 13, 2007

912 - 4

71

Minutes of the Committee Meeting set up to standardise the Grading System for the University held on March 15, 2007 at 1.30 P.M.

The following were present :-

1.	Prof. M. D. Agrawal	-	In Chair
2.	Prof. P. K. Sharma	-	Member
3.	Prof. Anam Jaitly	-	Member
4.	Prof. M. K. Ghadoliya	-	Member
5.	Controller of Exam., VMOU, Kota	-	Member secretary

1. The committee reviewed the prevailing system of according Grades to the candidates at the Examination for various academic programmes and found that the grades are merely substantiated account of marks as obtained by a candidate in the Examination. As such grades are neither the primary mode of evaluation nor there is any cumulative pattern of grading in the University.

2. The Committee also noted that beginning with grading in all academic programmes evaluation, IGNOU seems to be distancing itself from it and now relying more and more on the award of marks to the candidates in the examinations.

3. VMOU, on its part, has recently resolved to opt for awarding divisions and marks for new academic programmes to be launched w.e.f. July, 2007 (e.g. Graduation Programme in Arts, Science and Commerce, M. Phil. Programme).

4. On the merit of the reasons as stated vide points 1, 2 & 3, the committee resolved to recommend that grading system may be dispensed with for all types of academic programmes w.e.f. the batch of July, 2007.

The meeting ended with a vote of thanks to the chair.

Prof. P. K. Sharma

Prof. M. D. Agrawal

(C.E./VMOU)

Prof. M. K. Ghadoliya

Prof. Anam Jaitly

Minutes of the Committee Meeting constituted for determining the functional terms of Programme Coordinators, etc. held on April 14, 2007.

The following were present :

1.	Director, Academic	-	Convener
2.	Prof. M. D. Agrawal	-	Member
3.	Prof. P. K. Sharma	-	Member
4.	Prof. M. K. Ghadoliya	-	Member

The Committee considered the overall scenario of course development currently prevailing in the University which has necessitated specifying the functional profiles of such performers as Programme Coordinators, Conveners and Consultants. Having considered the issue, the committee resolved to recommend as hereunder :

I. Programme Coordinator :

(a) A programme coordinator shall be different from a study centre coordinator who facilitates student support services from his respective place of activity.

(b) A programme coordinator shall be solely responsible for intiating measures related to course development and preparation (i.e. arranging for Unit Writing, editing, translation, etc.) pertaining to the academic programme assigned to him by the University.

(c) He shall also maintain the programme once it is launched by the University.

(d) A programme coordinator shall be an academic either employed with the University or a retired academic or an academic employed with other Universities/Colleges/any other educational and/or professional organization and hired by V.M.O.U. In exceptional cases, he could also be any other person qualified to be a lecturer in an University.

(e) His remuneration and other facilities shall be payable to him in the form of a consolidated amount as determined by the University.

(f) He shall be appointed through a contract initially lasting for six months which could be renewed subsequently for similar duration. The frequency of such renewals shall be conclusively adjudged and finalised by the University.

(g) He shall be accountable to the Director of the School within which his programme is located. However, till the school provisions get reactivated, he shall be accountable to Director (Academic).

II. **Subject Conveners.**

(a) A subject convener will be solely responsible to the subject assigned to him by the University.

(b) He shall be a regular employee of the University and, as such, substantively appointed to the faculty position in the University.

(c) The subject convenership shall be rotative among the relevant subject faculty in order of seniority. The term of a subject convener shall be 3 years.

(d) The designation subject convener will obliterate the currently prevailing designation of subject Head/Head of the Department.

III **Consultant**

(a) A Consultant shall be appointed for such subjects or programmes where the subject faculty is not available with the University.

(b) A Consultant shall be a Rtd. teacher.

(c) His qualifications and remuneration shall be fixed in conformity with the state govt. rules.

(d) A consultant shall be initially appointed for a duration of six months. The appointment can be renewed for a similar duration subsequently till the University feels the need for such position.

The meeting ended with a vote of thanks to the chair.

(Prof. P. K. Sharm) (Prof. M. D. Agrawal) (Prof. M. K. Ghadoliya) (Prof. Anam Jaitly)

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

कार्यवाही विवरण

विद्या परिषद की 31वीं बैठक(आपात)

दिनांक 19 अप्रेल 07
समय प्रातः 10.30 बजे

विद्या परिषद की 31वीं बैठक (आपात) दिनॉक 19/4/07 को ई0एम0पी0सी0भवन में आयोजित की गई बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:-

1. प्रो0 नरेश दाधीच कुलपति वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा ।	अध्यक्ष
2. प्रो0 पी0के0शर्मा वमखुविवि,कोटा ।	सदस्य
3. प्रो0 अनाम जेटली वमखुविवि,कोटा ।	सदस्य
4. प्रो0 एम0के0घड़ोलिया वमखुविवि,कोटा ।	सदस्य
5. डा0 श्रीमती कमलेश शर्मा वमखुविवि,कोटा ।	सदस्य
6. डा0 एल0आर0गुर्जर वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
7. डा0 श्रीमती दामिना चौधरी वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
8. श्री योगेश शर्मा वमखुविवि,कोटा ।	सदस्य
9. श्री जुगल किशोर शर्मा वमखुविवि,कोटा ।	सदस्य
10. डा0 अशोक शर्मा वमखुविवि,कोटा ।	सदस्य
11. डा0 याकुब अली वमखुविवि,कोटा ।	सदस्य
12. डा0 एच0बी0नंदवाना वमखुविवि,कोटा ।	सदस्य
13 डा0 आर0के0जैन वमखुविवि,कोटा ।	सदस्य

14. श्री सुधीर खैर — सदस्य
वमखुविवि,कोटा ।

15 श्री राकेश शर्मा — सदस्य
वमखुविवि,कोटा।

16. डा0 श्रीमती शिप्रा लवानिया — सदस्य
निदेशक,क्षे0के0
वमखुविवि,,जोधपुर ।

17. डा0 एस0एन0अंबेडकर — सदस्य
वमखुविवि,कोटा ।

18. श्री एस0एम0वर्मा — सदस्य सचिव
कुलसचिव
वमखुविवि,कोटा।

आवश्यक गणापूर्ति के पश्चात् माननीय कुलपति महोदय द्वारा विद्या परिषद के समक्ष आपात बैठक बुलाये जाने के कारण का उल्लेख करते हुए माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि पिछले कई वर्षो से विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों को उपलब्ध करवाई जाने वाली सुविधाओं के शुल्कों में बढोतरी एवं आगामी वर्षो में विश्वविद्यालय के विकास, जिसमें कि कई नये अध्ययन केन्द्र एवं भरतपुर में नया क्षेत्रीय केन्द्र खोले जाने की योजना भी सम्मिलित है,इन सब कारणों से विश्वविद्यालय को अपने आंतरिक संसाधनों में वृद्वि किये जाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विद्या परिषद की 29 वीं बैठक में यह निर्णय किया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यकमों के शुल्क की समीक्षा की जावे, विद्या परिषद द्वारा उक्त कार्य हेतु एक समिति का गठन कर निर्धारित अवधि में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे जिसके कम में कमेटी द्वारा दिनॉक 16 मार्च 2007 को बैठक आयोजित कर अपनी अभिशंसा प्रस्तुत की है तथा उक्त अभिशंसाओं पर विचार विमर्श किये जाने हेतु ही उक्त आपात बैठक का आयोजन किया गया है। माननीय कुलपति महोदय द्वारा कुलसचिव को विधिवत रूप से बैठक प्रारंभ करने के निर्देश दिये जाने पर विद्या परिषद की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए कमेटी द्वारा प्रस्तुत अभिशंसा पर विचार विमर्श के बाद निम्नानुसार निर्णय किया गया :–

31/01 विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यकमों के शुल्क में संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव।

विद्या परिषद द्वारा गठित समिति के प्रतिवेदन के साथ संलग्न तालिका में वर्णित पाठ्यकमों के प्रस्तावित शुल्क के सम्बन्ध में पाठ्कमवार चर्चा प्रारंभ करते हुए कुछ संशोधनों के साथ कमेटी द्वारा की गई अभिशंसा तथा सामाजिक कुरितियॉ सम्बन्धी पाठ्यकम (डी0एस0पी0आर0),प्राकृत भाषा में प्रमाण पत्र (सी0पी0एल0)एवं अपभ्रंष भाषा में प्रमाण पत्र (सी0ए0एल0) पाठ्यकमों के विषय संयोजकगण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर शुल्क का निर्धारण करने के पश्चात् संलग्न तालिका के अनुसार आगामी शैक्षिक सत्र जुलाई 2007 से शुल्क बढोतरी करने की अनुमति प्रदान करते हुए विद्या परिषद द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि "Gandhian Nonviolent Conflict

Resolution" पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मान्यता प्राप्त गॉधी अध्ययन केन्द्रों के माध्यम से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रो पर पाठ्यक्रम शुल्क के 550/–रू0 एवं डी0एस0पी0आर0 पाठ्यक्रम में महिला अभ्यार्थियों हेतु पाठ्यक्रम शुल्क के 400/–रू की छूट दिये ज़ाने का भी निर्णय किया गया।

तत्पश्चात् आसन के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने के पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त घोषित की गई।

कुलसचिव
एवं सदस्य सचिव
विद्या परिषद

VARDHAMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY, KOTA

क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पंजीकरण शुल्क	पाठ्यक्रम शुल्क	विकास शुल्क	परीक्षा शुल्क	कुल योग	प्रथम किश्त	द्वितीय किश्त	अन्य
1	BPP	100	300	50	200	650	650		
2	CFN	100	250	50	300	700	700		
3	CTB	100	2550	50	300	3000	3000		
4	CIC	100	2450	50	400	3000	3000		
5	CCT	100	1050	50	300	1500	1500		
6	CRLC	100	550	50	300	1000	1000		
7	CPRP	100	150	50	200	500	500		
8	CLAW	100	150	50	300	600	600		
9	PGDESD	100	3000	100	400	3600	2500	1100	
10	CDM	100	1050	50	200	1400	1400		
11	CAFE	100	850	50	250	1250	1250		
12	PGDLL	100	1900	100	900	3000	2000	1000	
13	DNHE	100	1000	100	400	1600	1000	600	
14	DCO	100	2700	100	500	3400	2400	1000	
15	MA (Pre.)	100	1400	100	600	2200	1200	1000	
16	MA(Final)	100	1550	100	750	2500	1500	1000	
17	DCCT	100	1500	100	500	2200	1200	1000	
18	B.Ed.	100	18600 (17800+800)	100	600	19400	10000	9400	* 800 Computer fee as per Govt. Norms included in course fees
19	M.B.A. (Ist Year)	100	4200	100	1050	5450	3500	1950	
20	M.B.A. (IInd Year)	100	4200	100	1050	5450	3500	1950	
21	M.B.A. (IIIrd Year)	100	4200	100	1050	5450	3500	1950	
22	PGDFM	100	3000	100	750	3950	2500	1450	
23	PGDHRM	100	3000	100	750	3950	2500	1450	
24	PGDMM	100	3000	100	750	3950	2500	1450	
25	MJ(MC) Pre.	100	4200	100	600	5000	3500	1500	
26	MJ(MC) Final	100	4200	100	900	5300	3500	1800	
27	B. Lib.	100	2500	100	800	3500	2500	1000	
28	B.A./B.Com. (Ist Year)	100	1600	100	800	2600	1600	1000	
29	B.A./B.Com. (IInd Yea	100	1600	100	800	2600	1600	1000	
30	B.A./B.Com. (IIIrd Yea	100	1200	100	600	2000	2000	0	
31	D.I.M.	100	3000	100	750	3950	2500	1450	
32	BJ(MC)	100	3100	100	700	4000	2500	1500	
33	DLS	100	1500	100	600	2300	1500	800	
34	THM	100	1700	100	600	2500	1500	1000	
35	CHMS	100	850	50	400	1400	1400	0	
36	COA	100	850	50	500	1500	1500	0	
37	DAM	100	1000	100	400	1600	1600	0	
38	DTM	100	1500	100	500	2200	1500	700	
39	CTG	100	2050	50	300	2500	1500	1000	
40	CSM	100	1000	50	200	1350	1350	0	
41	CGNR	100	550	50	300	1000	1000	0	
42	MA (Education) Pre.	100	9050	100	750	10000	10000	0	
43	MA (Education) Final	100	8350	100	1450	10000	10000	0	
44	DSPR	100	400	100	400	1000	1000	0	
45	CPL	100	550	50	300	1000	1000	0	
46	CAL	100	550	50	300	1000	1000	0	

सीजीएनआर कार्यक्रम के लिये फीस का विवरण इस प्रकार है:–

For Indian Students	Rs.	1000
For Indian Casual Students (Without Cerification/examination)	Rs.	700
For South Asian Students	$	100
er (Students enrolled in Univ./Colleg	$	300
Others	$	500

सीजीएनआर पाठ्यक्रम में मान्यता प्राप्त गांधी अध्ययन केन्द्रों के माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों पर पाठ्यक्रम शुल्क में 550/– रू.एवं डी.एस.पी.आर. पाठ्यक्रम मे महिलाओं हेतु 400/– पाठ्यक्रम शुल्क की छुट दी जायेगी।